राष्ट्रीय छात्रशक्ति

वर्ष-46 ■ अंक-09 ■ जनवरी-फरवरी 2025 ■ ₹10 ■ पृष्ठ-44

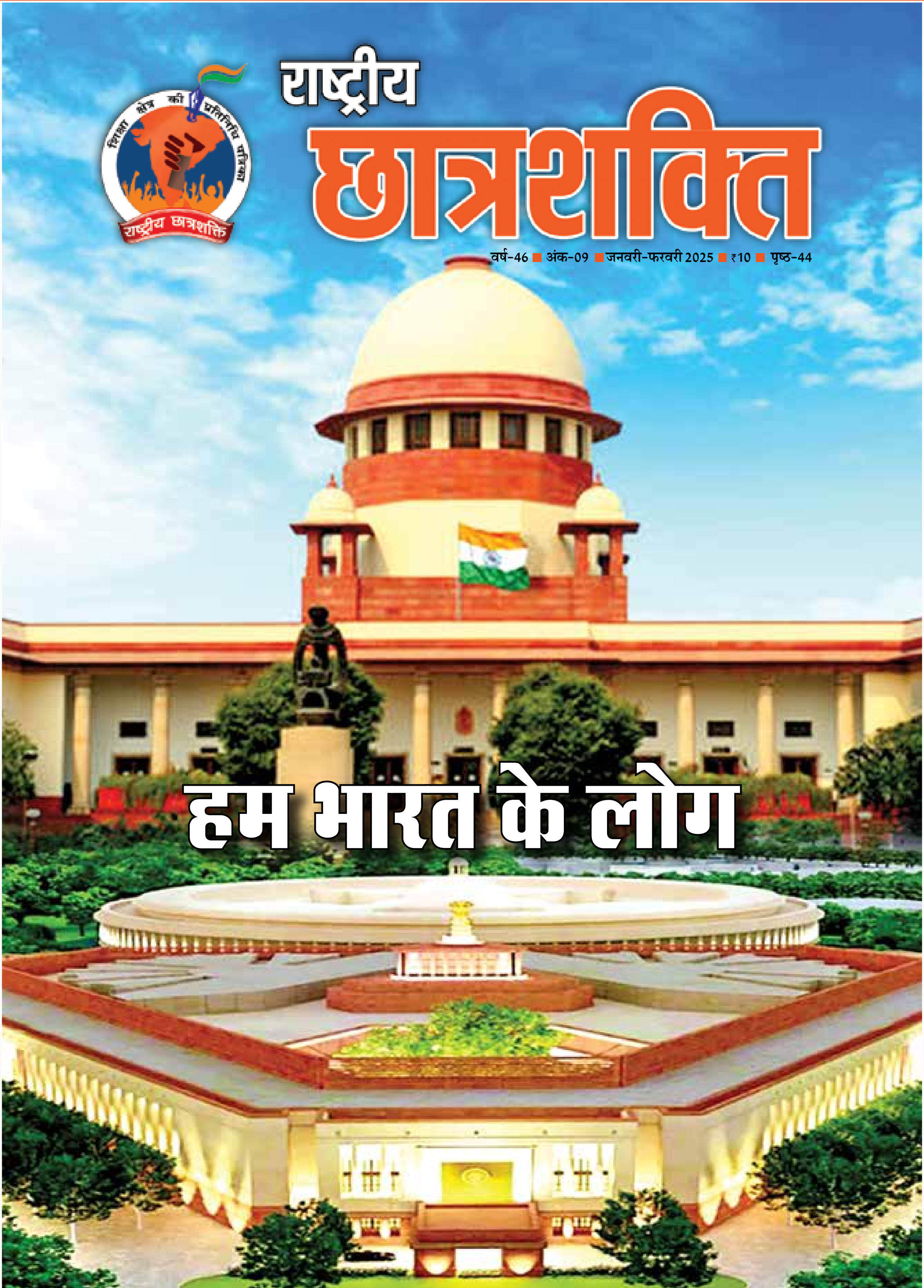

हम भारत के लोग

जोधपुर में आयोजित केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक की झलकियां

राष्ट्रीय
छात्रशक्ति

शिक्षा क्षेत्र की प्रतिनिधि पत्रिका

वर्ष–46, अंक–09
जनवरी–फरवरी 2025

संपादक
आशुतोष भटनागर
संपादक–मण्डल
संजीव कुमार सिन्हा
अवनीश सिंह
अभिषेक रंजन
अजीत कुमार सिंह

संपादकीय पत्राचार
राष्ट्रीय छात्रशक्ति
26, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग,
नई दिल्ली - 110002.
फोन : 011-23216298
www.chhatrashakti.in
rashtriyachhatrashakti@gmail.com
www.facebook.com/Rchhatrashakti
www.twitter.com/Rchhatrashakti
www.instagram.com/ Rchhatrashakti

स्वामी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक **राजकुमार शर्मा** द्वारा 26, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, आई.टी.ओ. के निकट, नई दिल्ली - 110002 से प्रकाशित एवं ओशियन ट्रेडिंग कं., 132 एफ. आई. ई., पटपड़गंज इण्डस्ट्रियल एरिया, नई दिल्ली-110092 से मुद्रित। **संपादक** *पीआरबी अधिनियम के तहत समाचारों के चयन के लिए जिम्मेवार।

अबकी बार

05 **संविधान की आत्मा है भारतीयता**

भारतीय गणतंत्र ने 75 वर्ष पूरे कर लिए। भारतीय गणतंत्र की स्थापना संविधान लागू होने के बाद हुई। 75 वर्ष की यात्रा अवधि के दौ...

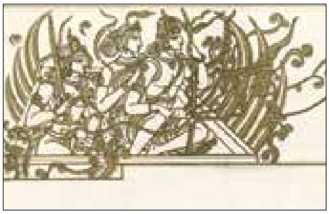

संपादकीय	04
भारतीय संविधान : एक दृष्टि	13
History and the making of the preamble	20
तथ्यों में भारतीय संविधान	23
शैक्षिक सुधार एवं विकसित भारत में युवाओं की भूमिका सुनिश्चित करेगी अभाविप	27
गोवा विश्वविद्यालय छात्र परिषद चुनाव में अभाविप को मिली शानदार जीत	28
शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं पर अभाविप ने दिए ज्ञापन	30
National Symposium on Landmark Judgements Concludes with Insightful Legal Discourse	33
आधुनिक भारत के निर्माता स्वामी दयानंद सरस्वती	34
जनसांख्यिकीय आवश्यकताओं को पूरा करेगा समावेशी बजट : अभाविप	37
WOSY Organised Dudhwa National Park Trip for Foreign Students	38
अभाविप ने किया साहिबजादों के बलिदान को याद	39
ABVP Condemns Sexual Assault at Anna University and Suppression of Democratic Protests by DMK Government	40
कार्यकर्ताओं के लिए ऊर्जा का केंद्र बनेगा नवीन कार्यालय : सुरेश सोनी	41
युवा संसद में पर्यारणीय चुनौतियों पर चिंतन	42

वैधानिक सूचना : राष्ट्रीय छात्रशक्ति में प्रकाशित लेख एवं विचार तथा रचनाओं में व्यक्त दृष्टिकोण संबंधित लेखकों के हैं। संपादक, प्रकाशक एवं मुद्रक का उनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है। समस्त प्रकार के विवादों का न्यायिक क्षेत्र दिल्ली होगा।

संपादकीय

भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किए जाने का यह अमृत महोत्सवी वर्ष है। 26 नवम्बर 1949 को स्वयं को संपूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित कर व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाली बन्धुता बढ़ाने का दृढ़ संकल्प व्यक्त किया गया।

26 जनवरी 1950 को स्वीकार करने से पूर्व भारत की स्थिति ब्रिटिश राज्य के एक डोमिनियन की थी। वह स्वाधीन तो था, किन्तु उसकी सरकार ने ब्रिटिश क्राउन के प्रति निष्ठा की शपथ ली थी। संविधान निर्माण की प्रक्रिया विभाजन के कारण कुछ समय के लिए बाधित हुई और इसमें लगभग तीन वर्ष का समय लगा। राज्यों के अधिमिलन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद उनके प्रतिनिधि भी केन्द्रीय संविधान सभा में शामिल हुए।

लंबे समय तक एक बड़े वर्ग के मन में यह धारणा बनी रही कि भारतीय संविधान दुनिया के तमाम संविधानों के कुछ अंशों जोड़ कर तैयार किया गया एक ऐसा पुलिंदा है, जिसमें भारतीय तत्व बहुत कम मात्रा में हैं। संविधान सभा की कार्यवाही न सामान्य चर्चा में आई और न ही पाठ्यक्रम में। फलतः इसके प्रति एक अनजानेपन का भाव बना रहा।

ऐसे गहन विषयों पर समाज में व्यापक चर्चा किसी निमित्त को लेकर ही हो पाती है। वह भी तब, जब शासन सहित सभी वर्ग इसमें योगदान दें। स्वाधीनता के प्रारंभिक दशकों में शासक वर्ग की गतिविधियों से बार-बार ऐसे संकेत मिलते रहे मानो संविधान उनके निजी उपयोग की वस्तु है, जिसे वह मनमाने तरीके से तोड़-मरोड़ सकते हैं। शुरुआती दौर के संविधान संशोधनों में इस मानसिकता की झलक स्पष्ट दिखती है। संविधान निर्माण की रजत जयन्ती का अवसर आया तो देश एक राजनीतिक त्रासदी से गुजर रहा था। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारों के हनन जैसे शब्दों के वास्तविक अर्थ तब सामने आए। संविधान के गुण-दोषों की चर्चा के स्थान पर उसे बचाए रखने की चुनौती सामने थी, जिसमें देश की जनता सफल रही। सत्ता की निरंकुशता के विरुद्ध नागरिक उठ खड़े हुए और पहली बार कांग्रेस के अजेय होने का भ्रम टूट गया।

संविधान सभा की कार्यवाही न सामान्य चर्चा में आई और न ही पाठ्यक्रम में। फलतः इसके प्रति एक अनजानेपन का भाव बना रहा।

संविधान की स्वर्ण जयन्ती के समय भी यह चर्चा प्रारंभ हुई और ऐसे अनेक प्रावधानों की पहचान की गई जो चरित्र में संविधान की आत्मा के विरुद्ध थे। उनमें से कुछ असंगत प्रावधानों को हटाया गया किन्तु यह प्रक्रिया आगे बढ़ती, इससे पूर्व ही करगिल का युद्ध प्रारंभ हो गया और देश की राजनीतिक स्थिति बदल गई।

संविधान का अमृत महोत्सव नितांत नए कलेवर में हमारे सामने है। इससे पहले आपातकाल का नारा – "हर जोर-जुल्म की टक्कर में, संघर्ष हमारा नारा है", लोगों के मन पर छाया था। प्रयासपूर्वक यह भ्रम बनाए रखा गया था कि संविधान सत्ताधीशों के हाथ का खिलौना है और उसके नाम पर होने वाली हर निरंकुशता को सहन करना नागरिकों की नियति। गत एक दशक के घटनाक्रम ने नागरिकों के मन में संविधान के प्रति अपरिचय का भाव कम किया है और जिज्ञासा बढ़ाई है।

पिछला एक दशक संविधान के शासन के प्रति लोगों के मन में सकारात्मक भाव और विश्वास उत्पन्न करने वाला रहा है। इसका बड़ा कारण है कि उन्होंने संवैधानिक प्रावधानों के द्वारा ही समाज का सशक्तीकरण होते देखा है। बिना आंदोलन, संघर्ष और हिंसा के सकारात्मक बदलाव आते देखा है। स्वाधीनता के पहले दशक में उत्पन्न प्रश्नों के संविधान के दायरे में शांतिपूर्ण हल ने एक उम्मीद जगाई है। अनुच्छेद-370 का संशोधन और रामजन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण इसका उदाहरण हैं। यह उपयुक्त समय है, जब भारतीय संविधान को लेकर देश में सकारात्मक चर्चा प्रारंभ हो तथा देश में न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व स्थापित करने के संविधान निर्माताओं के संकल्प को आगे बढ़ाने में सफल हो। इस उद्देश्य से भारतीय संविधान और उसकी निर्माण प्रक्रिया से जुड़ी प्रारंभिक जानकारी इस अंक में संग्रहीत है, जो पाठकों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी, यह विश्वास है।

हार्दिक शुभकामना सहित

आपका
संपादक

भारत का संविधान

उद्देशिका हम भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के लिये तथा उस के समस्त नागरिकों को:

सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय,
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता,
प्रतिष्ठा और अवसर की समता
प्राप्त कराने के लिये,
तथा उन सब में
व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाली बन्धुता
बढ़ाने के लिये
दृढ संकल्प हो कर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख २६ नवम्बर १९४९ ई० (मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवत दो हजार छः विक्रमी) को एतदद्वारा इस संविधान को अङ्गीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।

(संविधान की मूल प्रस्तावना : साभार)

संविधान की आत्मा है भारतीयता

भारतीय गणतंत्र ने 75 वर्ष पूरे कर लिए। भारतीय गणतंत्र की स्थापना संविधान लागू होने के बाद हुई। 75 वर्ष की यात्रा अवधि के दौरान भारतीय गणतंत्र को संविधान ने नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अपना योगदान दिया। भारत के मूल संविधान पर विचार करें तो हिंदुत्व की मूल भावना संविधान में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। संविधान की पृष्ठभूमि में सनातन विचारों-मूल्यों की आधारभूमि है और संविधान भारतीयता और उसकी मूल धारा हिंदुत्व की ही अभिव्यक्ति है। यह सत्य है कि संविधान बनाते समय बहुत सारी व्यवस्थाएं अंग्रेजों से ली। किन्तु संविधान की सबसे बड़ी विशेषता उसकी प्रस्तावना है, जो वास्तव में हिंदुत्व की आत्मा है। संविधान निर्माताओं ने भारत गणराज्य का लक्ष्य घोषित किया 'समाज में न्याय, स्वतंत्रता और समानता स्थापित करना'। किन्तु इसके साथ उल्लिखित तीन पूर्व शर्ते वास्तव में हिंदुत्व का प्रतिमान हैं।

प्रश्न यह है कि अपने लक्ष्य को हम कैसे प्राप्त करेंगे? 'बंधुत्व को प्रोत्साहित कर, यही हिंदुत्व है अर्थात न्याय देते समय, समानता लाते समय बंधुता नहीं टूटने देना है। हम कहते हैं कि समाज को जोड़ने का यह बंधुता का भाव है। 'माता भूमि पुत्रोऽहं पृथिव्याम्'- हम सब भारत माता की संतान हैं। इसीलिए आपस में बंधु हैं। यह जो बंधु भाव है, यह भारत का वैशिष्ट्य है। यह दुनिया के किसी अन्य देश में नहीं है। बाबासाहब डा. भीमराव रामजी आंबेडकर ने भी अपने संविधान सभा के भाषण में कहा कि हमने केवल समानता की बात नहीं की। फ्रांस में हुई क्रांति के समय स्वतंत्रता, समानता और न्याय आदि की बातें हुईं। लेकिन हमने जो खास बात कही, वह है 'भाईचारे को बढ़ावा देकर (By promoting fraternity)'। परस्पर करुणा, आत्मीयता, संवेदनशीलता, एक-दूसरे को अपना मानना यही हमारा वैशिष्ट्य है।

भारत के लिए हिंदू शब्द सामान्यतः पंद्रह सौ वर्षों से प्रयोग में रहा है। हिंदू शब्द का सर्वाधिक प्रचलन इस्लामी आक्रमण के कालखंड में हुआ क्योंकि इस्लाम अपने अलावा सबको एक ही मानता है। बौद्ध, जैन, वैष्णव, शैव कोई भी हों, किन्तु उनके लिए सभी काफिर हैं। मूर्तियां और मंदिर तोड़ना, मतान्तरण करना, अत्याचार, कत्लेआम करना-यही उनका आचरण रहा है। मुस्लिम मत के अनुसार, काफिरों को सम्मानपूर्वक जीने का कोई अधिकार नहीं है। धीरे-धीरे सबको समझ में आया कि इस आक्रमण से लड़ना है तो एकजुट होना पड़ेगा और समय के साथ एक पहचान बनती चली गई। हजार वर्ष के कालखंड में जो भी पूज्यनीय संत आए, उन्होंने हिन्दू शब्द का प्रयोग आरंभ किया। गुरु नानक देव जी ने जब बाबर के आक्रमण का वर्णन किया तो उन्होंने भी एक साझी पहचान का उल्लेख किया। उसके लिए उन्होंने एक शब्द प्रयोग किया, हम कौन हैं? जिसके ऊपर आक्रमण हो रहा है, वह हिंदू है।

पिछले सौ-डेढ़ सौ वर्षों में यह हिंदू शब्द पूरे समाज में एक पहचान बन गया है। हजारों वर्षों से चले आ रहे अपने मूल्यों के अनुसार जीवन जीना हिंदू संस्कृति हो गई। इस कालखंड में यह देश हिंदू राष्ट्र हो गया। हजारों वर्षों के इस प्रवाह में शब्द बदल गए होंगे, लेकिन भारत में दर्शन, मूल्य, संस्कृति, समान रही। वैदिक कहें या अवैदिक, मूल्य एक ही है। सामान्य जीवन में एक बड़ा विवाद धर्म और रिलीजन के कारण होता है। लोग अनजाने में रिलीजन के परिप्रेक्ष्य में धर्म को देखते हैं। इतने समय में रिलीजन शब्द इतना प्रभावी हो गया कि रिलीजन और धर्म पर्यायवाची हो गए। जबकि भारतीय परम्परा में धर्म शब्द का उपयोग शासन के लौकिक नियम (कॉस्मिक लॉ ऑफ गवर्नन्स) के लिए था, जैसे-लौकिक जगत में अग्नि का धर्म, वायु का धर्म आदि। धीरे-धीरे समाज जीवन में प्रत्येक की भिन्न-भिन्न भूमिकाओं का सन्दर्भ धर्म से जुड़ गया, जैसे-राजा का धर्म, पिता का धर्म आदि। लंबे समय तक पूजा पद्धति का इससे कोई सम्बन्ध नहीं था। भारत में इसका सम्बन्ध प्रत्येक व्यक्ति के कर्तव्य से था, जैसे-कृषक का धर्म, व्यापारी का धर्म, राजा का धर्म, प्रजा का धर्म।

जीवन ध्येय

जीवन के परिप्रेक्ष्य में भारत में चार पुरुषार्थ माने गए हैं- धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म के आधार पर जीवन जीना और मोक्ष को प्राप्त करना। यह एक से अनेक की यात्रा है और अंततोगत्वा अनेक से एक होना, यही जीवन का लक्ष्य माना गया। अनेक से एक होने में एक बात निश्चित है कि 'ईश्वर एक है', पर उसके रूप और उस तक पहुंचने के मार्ग अनेक हो सकते हैं। पंथ अनेक, किन्तु लक्ष्य एक-यह भाव अपने यहां रहा। इसीलिए किसी भी रास्ते से जाएं, वह मोक्ष धर्म अंततोगत्वा एक ही जगह पहुंचने वाला है। इसीलिए यहां मार्ग के अनुसार मोक्ष धर्म के नाम बदलते रहे हैं।

एक विशेष बात और रही, यहां धर्म की बात सबने की, किन्तु नाम बाद में आया। बौद्ध प्रारंभ हुआ तो वह बुद्ध धर्म नहीं था। बौद्ध पंथ में जितनी भी बात आती हैं, वह धम्म की थीं। उन्होंने सत्य, शील और करुणा की बात की। नाम बाद में आया, परन्तु पहले सबने धर्म की बात की। गुरु नानक जी ने कैसा जीवन जीना चाहिए, पहले इसकी बात की। बाद में सिख नामकरण हुआ। हमेशा सबने जिस धर्म की बात की, वह धर्म एक ही था। सबने धर्म के मूल तत्व, सत-चित-आनंद और कर्म सिद्धांत, पुनर्जन्म, अच्छे काम करने का ही आग्रह किया। जीवन कैसे जीना है? इसी को लेकर विचार सामने रखे। वैष्णव, शैव, शाक्त आदि विविध पूजा-पद्धतियां थीं। कोई महावीर तो कोई गौतम बुद्ध को मानता था। जीवन में जैसे व्यक्ति के उसकी अलग-अलग भूमिका के अनुरूप अनेक धर्म होते हैं, वैसे ही प्रत्येक का एक मोक्ष धर्म भी होता है। उपरोक्त सारे मोक्ष धर्म भारत की धरती पर हैं। इन सबका एक समान वैशिष्ट्य है कि यह सब अन्य मार्गों को भी सत्य मानते हैं। प्रत्येक मार्ग को स्वीकार करते हैं, यह कभी अपने को ही श्रेष्ठ नहीं मानते, अपितु सभी मार्गों को सच्चा मानते हैं। भारत के सभी मत-पंथों की विषयवस्तु वास्तव में एक ही है। हिंदू की परिभाषा करते समय, प्रतिदिन एकात्मता मंत्र में जो बोलते हैं, वह हमारी प्रस्तुति में नहीं आता। एकात्मता मंत्र में शिव और विष्णु की बात कहते हैं, अनिर्वचनीय की भी बात कहते हैं, उसे स्वामी के रूप में भी देखते हैं, प्रकृति पूजन की बात कहते हैं और जैन, बौद्ध, सिख सबका स्मरण करते हैं। हिंदुत्व

(संविधान में अंकित भगवान श्रीराम का पुष्पक विमान से माता सीता एवं लक्ष्मण के साथ अयोध्या जाने का रेखाचित्र : साभार)

की प्रस्तुति करते हुए यह सब बातें आनी चाहिए। हिंदू शब्द के बारे में समय-समय पर कई विवाद खड़े होते हैं, इन विवादों में से निकलना चाहिए। मोक्ष धर्म का प्रत्येक मार्ग सच्चा है, यही भारतीय परम्परा है। भारत की धरती पर उपजे सभी मोक्ष धर्म हमारे ही हैं, नाम अलग हैं, परन्तु मूल्य एक है।

सहस्त्र वर्ष का संघर्ष : प्रभाव और परिणाम

भारत के राष्ट्र जीवन में एक हजार वर्ष की पृष्ठभूमि में इस्लाम के आक्रमण में संस्थाएं नष्ट हो गई। समाज रूढ़ियों-कुरीतियों से ग्रस्त हो गया। अंग्रेजों के आक्रमण में स्मृति लोप का शिकार हो गए। एक तरह का स्मृतिभ्रंश हो गया और अपनी जड़ों से कट गए। इसी क्रम में गत सौ वर्ष में दो नए विचारों साम्यवाद और वैश्विक बाजारी बल के संपर्क में आए। दोनों प्रोटेस्टेंट ईसाई धर्म से जन्मे, जिसके प्रभाव में विमर्श की भाषा और बातचीत के सन्दर्भ बदल गए। समाज के प्रचलित विमर्श की भाषा भी बदल गई। चयन स्वातंत्र्य, सामाजिक न्याय, अधिकार, समानता आदि आज प्रचलित शब्दावली है।

समाज कभी भी जड़ नहीं रहता, अपितु सतत विकासशील होता है। हजार वर्ष के संघर्ष का भी कुछ परिणाम है। सौ वर्ष में जिनके संपर्क में आए, उसका भी परिणाम सामने आया। इन सबके कारण भारत में अपने विचार के प्रति भ्रम, अनास्था, अविश्वास का एक वातावरण बना। इस कालखंड में जो कुछ हुआ, उससे समाज में नई-नई पहचानें बन गईं। भारतीय समाज में कभी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग इत्यादि पहचान नहीं थी। देश के ऐतिहासिक कालक्रम में भाषा के आधार पर कभी राज्य भी नहीं थे। इतने बड़े कालखंड में जो आस्था और श्रद्धा के केंद्र थे, उन पर भी बहुत सारे प्रश्न खड़े किए गए। समाज जीवन परिवर्तनशील है। किन्तु अभी यह वर्तमान समाज का सच है। इसीलिए हर कालखंड में उस समय की परिस्तिथियों के अनुसार विषयों की व्याख्या और प्रस्तुति करनी ही होती है, यह कला सीखनी पड़ती है।

समरसता और सामाजिक न्याय

व्यक्ति का सम्मान पद से, जन्म से नहीं होगा-यह भारत की विशेष परम्परा है। भारतीय संविधान की भी एक विशेषता 'वंचित वर्ग के लिए सकारात्मक क्रिया' है। यह अद्वितीय है, यही हिंदुत्व है, जो दुनिया में कहीं भी नहीं है। संविधान में सबके लिए समान अधिकारों की बात कही गई है। साथ ही जो दुर्बल हैं, पिछड गए हैं, उनके लिए सकारात्मक प्रयास के प्रावधान किए गए हैं। हमारे यहां पहला अधिकार, घर में जो कमजोर होता है, उसका होता है, यह हिंदुत्व है। घर के अंदर जो कमजोर होता है, उसकी उपेक्षा नहीं की जाती। उसे भी परिवार का सदस्य मानते हैं। समाज का एक वर्ग

जो पिछले पंद्रह सौ वर्षों में पीछे चला गया, उसके लिए संविधान में आरक्षण की कल्पना की गई। कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण व्यवस्था अमेरिका या यूरोप में लागू नहीं है। समानता की बातें तो की जाती हैं, किन्तु दुनिया में समानता के लिए इस प्रकार के प्रावधान कहीं नहीं हैं।

संविधान-आज की स्मृति

"किसी भी तरह के भेदभाव को स्वीकार न करना" यह संघ का मूल है, जो अस्पृश्यता और भेदभाव को अस्वीकार करता है। भारत में जाति वर्तमान स्वरुप में कभी नहीं थी। इसके बावजूद वर्तमान में 'जाति और कास्ट' आपस में एक हो गए। भारत में कास्ट नहीं थी, बल्कि यहां अपनी व्यवस्था थी। कभी-कभी लोग कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था ठीक थी। वर्ण व्यवस्था का समर्थन करने की जरूरत नहीं क्योंकि वह अभी व्यवहार में ही नहीं है। भारत में स्मृतियां समय-समय पर बनी। स्मृति अर्थात उस समय का संविधान। हजारों वर्षों की भारत की यात्रा में समय के साथ अनेक स्मृतियों का निर्माण हुआ। अभी आज की स्मृति 'भारत का संविधान' है। जो संविधान सम्मत है, उसे स्वीकार करते हैं।

मनुस्मृति का विषय निकलने पर लोग मनुस्मृति का समर्थन करना प्रारंभ कर देते हैं। जिस समय अंग्रेजों ने मनुस्मृति को ढूंढा, उस समय भारत में किसी भी राज्य में मनुस्मृति के आधार पर शासन नहीं था। यहां पर विभिन्न राज्यों के संविधानों के आधार पर ही उनका शासन चलता था। उन संविधानों का विश्लेषण करके देखें, चाहे वह ग्वालियर का हो या उदयपुर का, वहां मनुस्मृति का कोई उल्लेख नहीं है। समाज परिवर्तनशील है और तदनुरूप समाज की व्यवस्थाओं, स्मृतियों में भी आवश्यक परिवर्तन आते हैं। अर्थ यह है कि काम से व्यक्ति छोटा-बड़ा नहीं होता। हिंदुत्व अर्थात कर्तव्य का पालन करते हुए अपने जीवन में आध्यात्मिकता की उच्चतम अवस्था तक पहुंचना। जन्म के आधार पर श्रेष्ठता का भाव हिंदुत्व नहीं है। हिंदुत्व में 'व्यक्ति की गरिमा' महत्वपूर्ण है। हिंदुत्व की प्रस्तुति करते हुए संविधान का उपयोग कर सकते हैं। यह विदेशी नहीं, अपने ही लोगों द्वारा बनाया गया संविधान है।

समय के साथ अपना आत्मावलोकन करना, कमियों को दूर करना, अनुभवों के आधार पर समाजोपयोगी नई-नई बातों को जोड़ना जीवंत समाज का लक्षण है। विमर्श की भाषा सदैव वही रखनी पड़ती है, जो उस युग में उस पीढ़ी को समझ में आए। मूल से समझौता नहीं, परन्तु युगानुकूल प्रस्तुति करना, भारत की परम्परा रही है। तदनुरूप हिंदू चिन्तन एवं विचार की प्रस्तुति करना सबको सीखना होगा। यही भारत की परम्परा भी है। गीता एक ही है, किन्तु समय-समय पर गीता के नए-नए भाष्य होते रहे। विभिन्न कालखंडों में जगद्गुरु शंकराचार्य, स्वामी विवेकानंद, स्वामी चिन्मयानंद और स्वामी अड़गड़ानंद ने भी यही किया। हर काल में गीता वही है, किन्तु उसका भाष्य बदल जाता है।

इस्लाम से संघर्ष के कालखंड में सारे देश में वैष्णव भक्ति, जागृति एवं शक्ति का आधार बनीं। इस्लाम के क्रूर आक्रमण में शिक्षा संस्थाएं नष्ट और संस्कृत के पठन-पाठन की परम्परा समाप्त हो गई। फिर समाज में आशा विश्वास जगाने के लिए संतों की परम्परा प्रारंभ हुई। वैष्णव भक्ति के प्रवाह में सारे देश में एक ही समय में तमिल, बांग्ला, असमिया अर्थात समाज की हर भाषा में रामायण आ गई। उसी में तुलसी की रामचरित मानस भी आई। वह प्रस्तुति उस कालखंड के अनुरूप थी। समाज जीवन में उस समय के अनुसार भाष्य करना, उस काल की आवश्यकता होती है।

राष्ट्र की एकता और एकात्मता

बंधुता को प्रोत्साहन, व्यक्ति की गरिमा के साथ ही 'राष्ट्र की एकता और एकात्मता' के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। महाभारत की विदुर नीति में कहा गया है कि-

त्यजेदेकं कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलं त्यजेत्।
ग्रामं जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथिवीं त्यजेत्।।
(महाभारत-1.107.32)

अर्थात बड़ी इकाई के लिए छोटी इकाई का त्याग करना। जहां एकात्मता और एकता का प्रश्न आता है, वहां अन्य अधिकारों की बातें गौण हो जाती हैं। अधिकारों और स्वतंत्रता की बात आजकल बहुत होती है। परंतु सभी प्रकार के अधिकारों की एक सीमा है। अधिकार तभी तक हैं, जब तक देश की एकात्मता का प्रश्न नहीं आता। यदि एकता और एकात्मता का प्रश्न आता है, तब छोटी इकाई के अधिकारों का परित्याग

(संविधान में अंकित भगवान श्रीकृष्ण द्वारा अर्जुन को गीता का उपदेश देने संबंधी रेखाचित्र : साभार)

करना पड़ता है।

देश में आरक्षण व्यवस्था अंग्रेजों ने नहीं दी। भारत में पहली बार आरक्षण और छात्रवृत्ति मैसूर के राजा ने आरंभ की थी। धीरे-धीरे कुछ अन्य लोगों ने भी इस प्रतिमान को अपनाया। यही हिंदुत्व है। विश्व के अन्य देशों में आरक्षण नहीं है। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि हमने दो पाप किए हैं-पहला जनसामान्य की अनदेखी और दूसरा नारी जाति की वंचना। हमने कारीगरों, हाथ का काम करने वाले लोगों की, गरीबों की उपेक्षा की है। उन लोगों को कृपा नहीं, उन्हें अवसर चाहिए। वह भी हमारे बराबर है। उनमें भी वहीं दिव्यता है जो हमारे भीतर है। वह किसी से कम हैं। अवसर मिलते ही वह भी बराबर आकर खड़े होंगे। आज समाज का जो वर्ग पिछड गया है, उसे अपने बराबर लाना ही होगा।

आध्यात्मिक लोकतंत्र

वास्तव में विश्व में लोकतंत्र हिंदू समाज के अतिरिक्त अन्य समाजों में कहीं नहीं मिलेगा। हिंदुत्व में पूर्ण आध्यात्मिक लोकतंत्र है। दुनिया का कोई भी पंथ-मजहब दूसरे को बराबर नहीं मानता। वह एक-दूसरे को सहन तो कर सकते हैं, लेकिन स्वीकार नहीं कर सकते। जिन्होंने सब मार्गों को समान माना और कहा कि 'सभी मार्गों को समान मानें' वह केवल हिंदुत्व है। हिंदुत्व की परिभाषा और व्याख्या करते समय संविधान के संदर्भों को भी साथ जोड़ना चाहिए। जब हिंदुत्व की विशेषता की बात आती है तो बहुत सारी आध्यात्मिकता की बातें आना प्रारंभ होती हैं। किन्तु वास्तविकता क्या है? केवल अपना हिंदुत्व ही ऐसा मार्ग है, जिसमें चारों पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की बातें हैं। विशेषता यह है कि हिंदुत्व समृद्धि के साथ आध्यात्मिकता की भी बात करता है। भारत में ही सदैव विद्या के साथ ही अविद्या की भी बात होती है। परा के साथ अपरा की बात होती है। यहां केवल परलोक की बात नहीं होती। भारत में एक जो विशेषता मानी गई है, वह यह कि आप जो भी करते हैं, उस क्षेत्र में पूर्णता को प्राप्त करना चाहिए। इसी को आध्यात्मिकता कहा गया। जो संगीत बजाते हैं, उससे यह नहीं कहा कि संगीत छोड़कर पूजा कीजिए। बल्कि उससे कहा गया कि यही तुम्हारी साधना है, यही पूजा है। आप नाद की साधना करते-करते नाद ब्रह्म तक पहुंच सकते हैं। आप अक्षर की साधना करते-करते, अक्षर ब्रम्ह को प्राप्त कर सकते हैं। अर्थ यह है कि जो भी काम कर रहे हैं, वह काम करते-करते उस काम में पूर्णता तक जाना, यही भारत की विशेषता रही है। इसीलिए देश में एक अद्भुत भारतीय सभ्यता और संस्कृति का निर्माण हुआ। चाहे वह मंदिर निर्माण हो, स्थापत्य कला या भवन निर्माण हो, नहरों का निर्माण हो, खेती या चित्रकला हो, व्यंजन बनाना हो, प्रत्येक क्षेत्र में उत्कृष्टता को प्राप्त करने का प्रयास किया गया।

सतत परिवर्तन का सिद्धांत

भारत में आधुनिकता और प्राचीनता का जीवंत संगम हमेशा से रहा। यहां पुराने और आधुनिक तत्वों के बीच कोई विवाद नहीं, बल्कि प्रत्येक क्षेत्र में सतत परिवर्तन का सिद्धांत है। हिंदू समाज न केवल सार्वभौमिक मूल्यों के बारे में सोचता है, बल्कि उसे अपना महत्वपूर्ण अंग भी बनाता है। हिंदुत्व का अर्थ यही है कि प्रत्येक क्षेत्र में सम्पूर्णता को प्राप्त किया जाए और यही कारण है कि हम जीवन को समग्रता से सोचते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष-जीवन के चार पुरुषार्थ हैं। यहां जो एक विशेष बात है, वह यह कि जो करना वह आनंद के लिए करना, सबके हित के लिए करना और वह करते-करते भगवान को प्राप्त करना। यही हमारी साधना है।

महिला सहभाग और सम्मान

महिलाओं के संदर्भ में भारतीय दृष्टि क्या है? भारत ने महिला-पुरुष में उतना ही भेद माना है, जितना प्रकृति ने बनाया है। वह सब काम जो पुरुष कर सकते हैं, महिला भी कर सकती है। प्रकृति ने जितना अंतर रखा है, उतना ही अंतर है। इस्लाम के कालखंड में एक परिस्थिति ऐसी थी, जिसमें महिला के सम्मान और सुरक्षा संबंधी प्रश्न उत्पन्न हुए। उस कालखंड में पर्दा, घूंघट, घर की चौखट के भीतर रहना आदि व्यवस्था बन गई। यह परम्परा भारतीय समाज का चित्र नहीं था।

वेदों में 26 ऋषिकाओं का वर्णन आता है। ऋषि और उनकी पत्नी मिलकर दोनों ही गुरुकुल का संचालन करते थे। यहां आध्यात्मिक दृष्टि से स्त्री को देवी, शक्ति के रूप में मान कर जब पूजा प्रारंभ की, तो उसकी कल्पना माहेश्वरी, महाकाली, महालक्ष्मी और सरस्वती चारों रूपों में की गई। केवल धन के रूप में नहीं, वह ज्ञान, कला-संस्कृति और सौंदर्य की अधिष्ठात्री भी है। उसे शक्ति स्वरूपा भी माना गया है। यह हिंदू चिंतन का मूल आधार है। सम्पूर्ण विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है, जिसमें महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ा। अन्य सभी देशों में महिलाओं को अपने अधिकार के लिए संघर्ष करना पड़ा।

भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसमें महिलाओं के अधिकारों के लिए पुरुषों ने लड़ाई लड़ी। पूरे स्वाधीनता संघर्ष में महिलाओं की बड़ी भागीदारी रही। स्त्री के मतदान अधिकार को लेकर कोई बहुत वाद-विवाद नहीं हुए, अपितु सहजता से यह विषय संविधान सभा में आया और महिलाओं को मतदान का अधिकार प्राप्त हुआ। किसी ने विरोध नहीं किया। समाज के प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका और उनका योगदान बढ़ रहा है। सामाजिक, धार्मिक, व्यावसायिक और राजनीतिक नेतृत्व में भी उनकी भागीदारी बढ़ रही है। आने वाले समय में हिंदू समाज की सभी संस्थाओं में महिलाओं को सम्मिलित करना है। इस बारे में सोचना हिंदू चिंतन के अनुरूप ही है।

हिंदुत्व की स्वीकार्यता

आजकल एक विमर्श चलता है, 'अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता'। कुछ वक्तव्य आते हैं, किसी विषय पर, चित्र पर कुछ सन्दर्भ आ जाते हैं, कुछ पोशाकें आ गई। इन सब बातों पर पुलिस में रिपोर्ट करना, नोटिस देना, आक्रामक वक्तव्य करना, यह हिंदुत्व नहीं है। भारत में हिंदू से ज्यादा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसी भी देश या समाज ने नहीं दी है। यहां तो प्रभु श्रीराम पर उनके राज्य में ही प्रश्न कर दिए गए। वास्तव में प्रश्न-प्रति प्रश्न-आलोचना, यह भारत की परम्परा रही है। संत कबीर का सारा कवित्व ही आलोचनात्मक है। चार्वाक से अधिक वेदों की निंदा करने वाला कोई नहीं था। लेकिन उन्हें भी ऋषि माना गया। कुछ बातों या घटनाओं का अपने समाज पर बहुत प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। हिंदुत्व की पहचान उग्रता या आक्रामकता नहीं हो सकती।

समस्त प्रश्नों का उत्तर है हिंदुत्व

हिंदुत्व में दुनिया के सभी प्रश्नों एवं चुनौतियों के उत्तर एवं समाधान हैं। आजकल कोई लिव-इन की बात करता है तो कोई समलैंगिक सम्बन्धों की। ऐसा नहीं है कि यह प्रश्न भारतीय समाज में पहले नहीं आए। देश में अभी भी बहुत से लोग आर्थिक, शैक्षिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं। उनके समग्र विकास का भी विचार किया जाना चाहिए। युवाओं में इस सम्बन्ध में चिंतन होना चाहिए। किन्तु आज क्या हो रहा है? जिन्हें समाज के अंदर भटकाव पैदा करना है, वह जो मुद्दे नहीं है, उन्हें भी मुद्दा बना देते हैं। भारतीय समाज जीवन में उपरोक्त सभी विषयों पर बहुत पहले से विचार किया गया। समाज

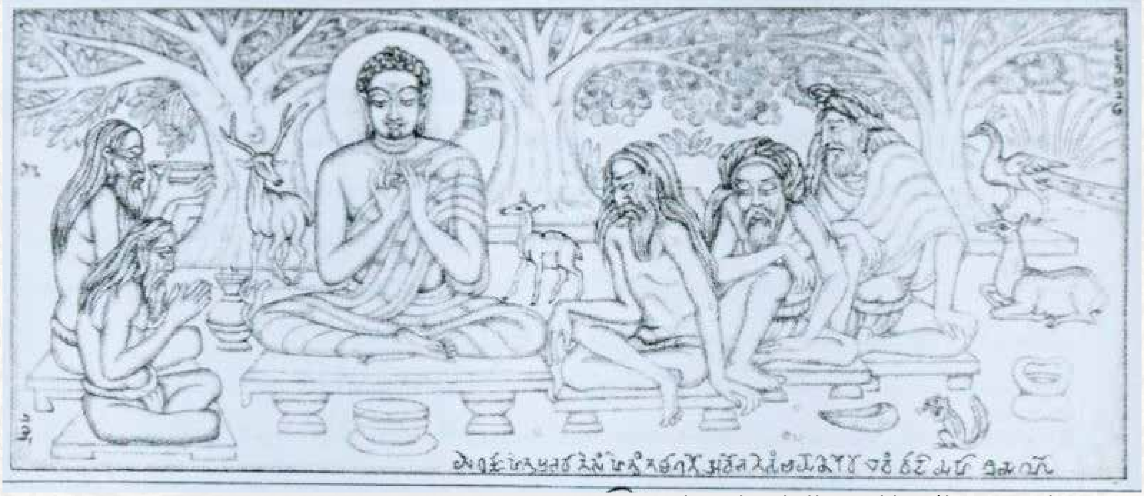

(संविधान में अंकित बोध वृक्ष के नीचे अनुयायियों के साथ बैठे भगवान बुद्ध का रेखाचित्र : साभार)

हमेशा अपने अनुभवों से सीखता है। मनुष्य की यात्रा ऐसे ही प्रारंभ हुई। अनेक अनुभव लेते-लेते आखिर में निष्कर्ष निकला कि परिवार व्यवस्था का कोई विकल्प नहीं है। मनुष्य ने साथ रहकर यह सारी बातें अनुभवों से सीखी। पिछले सौ वर्षों में पश्चिम के संपर्क में आने के बाद भटकाव आ गया। आज अधिकांश जगत असत्य विचारों का शिकार है।

विभिन्न भारतीय धर्मग्रंथों में विवाह के विभिन्न प्रकारों का वर्णन मिलता है। ऋषि श्वेतकेतु ने विवाह परम्परा पर एक ग्रन्थ की रचना कर दी। इसमें देव, ब्रह्म, प्रजापत्य, गंधर्व, असुर, पिशाच और वैदिक विवाह के विषय में बताया गया। यह सभी अंतर्निहित धार्मिक और सांस्कृतिक परम्पराओं का हिस्सा हैं। यह कोई बाहर से आया है, ऐसा नहीं है। नल-दमयंती का विवाह ऐसे ही हुआ था। समाज जीवन में अच्छा क्या है? आदर्श क्या है? उसकी ओर लेकर जाना ही हिंदुत्व है। अभी जिन रास्तों पर समाज जा रहा है, उसका परिणाम क्या हो रहा है? इसके प्रति लोगों को सतर्क करना, इसकी समझदारी उनके व्यवहार में लाने का तरीका ढूंढना और परिवार व्यवस्था का महत्व स्थापित करने की आवश्यकता है।

भारत में समाज की इकाई परिवार है और परिवार का आधार विवाह है। इसका उद्देश्य केवल यौन संबंध नहीं है। विवाह एक संस्कार है, उसका एक उदात्त उद्देश्य है। समाज में ऐसे लोग रहेंगे, जो विवाह संस्कार को नहीं मानते और जो विकृत संबंधों को स्वीकार करते हैं। किन्तु उन सम्बन्धों को परिवार नहीं कह सकते। उनका सम्मान रहेगा, उनके अधिकार रहेंगे। सभी प्रकार के सम्बन्धों को विवाह की संज्ञा नहीं दे सकते।

धारणक्षम हिंदू जीवन

पिछले कुछ समय से धारणक्षम विकास (Sustainable Development), सतत विकास लक्ष्य (Sustainable Development Goals) जैसे अनेक प्रश्न हैं, जिन पर चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन वह वास्तव में क्या प्राप्त करना चाहते हैं? पर्यावरण संरक्षण, मानव अधिकार, विषमता रहित समाज- इन सबका समाधान हिंदू चिंतन के अलावा कहीं नहीं है। इन सब विषयों पर अनुभवों के आधार पर भारत की अपनी एक विशिष्ट सोच एवं विचार हैं। इन सारे प्रश्नों के उत्तर हिंदू चिंतन के अलावा और कहीं नहीं मिलने वाले हैं।

भारत में प्राचीन काल से त्रिस्तरीय समाज की संरचना थी-नगर, ग्राम और वन। समाज एक ही था-नागर समाज, ग्राम समाज और आरण्यक समाज। इनमें इतना ही अंतर था, जितना एक विशिष्ट जीवन व्यवस्था में रहते हुए हो सकता है। समाज जीवन में नगर होता था और उसके चारों ओर वन, गांव और गांव के चारों तरफ वन। यह सामान्य समाज जीवन था। महाभारत युद्ध के बाद धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती ने कहा कि हम सब वन में

रहेंगे तो वह लोग वन में रहने के लिए आज के छत्तीसगढ़ नहीं गए थे। वह हस्तिनापुर के बाहर स्थित वन में ही रहे। राजा राम जब वन गमन को गए तो कोशल की सीमा पार करके चित्रकूट के जंगलों में रहे। भारत में वन कोई अलग से समाज क्षेत्र नहीं था। लेकिन आजकल भील प्रदेश, गोंड राज्य-यह सब विषय चलते हैं।

भारतीय समाज जीवन हमेशा से त्रिस्तरीय समाज था। कुछ लोग नगर में, कुछ गांव में, कुछ वन में रहते थे। उसी आधार पर हर एक की बड़ी उन्नत समाज जीवन की व्यवस्था थी। कोई समाज पिछड़ा हुआ नहीं था। विदेशी आक्रमणकारियों से संघर्ष के कालखंड में यह स्थिति आ गई। उन्होंने ऐसे कानून, ऐसी व्यवस्थाएं बना दी जिससे समाज का एक बड़ा वर्ग पिछड गया।

समान मूल्य

संविधान की मूल प्रति में रामायण, महाभारत, तथागत बुद्ध, महावीर, अशोक आदि के जो चित्र प्रकाशित हैं, वह भारत की हजारों वर्ष की चिन्तन यात्रा के प्रतीक हैं। दुनिया में केवल हिंदू प्रवाह ही अन्य सबसे अलग प्रकार का है, अन्य सभी एक किताब से जन्मे हैं। एक मत-पंथ के रूप में उनका जन्म हुआ, इसीलिए उनको परिभाषित करना सरल है। उनकी चौखट में हिंदू को परिभाषित नहीं कर सकते। हमारी ना कोई एक पुस्तक है और ना ही कोई एक महापुरुष। हमारी यात्रा पांच सौ या हजार वर्ष की नहीं है। इसे जितना परिभाषित करने की कोशिश करेंगे, उतना उलझते जाएंगे।

भारत की सनातन यात्रा में समय-समय पर नाम बदलते रहे। कभी वैदिक, कभी सनातन तो कभी आर्य, परन्तु तत्व वही रहा, मूल्य समान रहे। शब्द कोई भी रहा हो, विषयवस्तु एक ही रही। वेद से लेकर ब्राह्मण ग्रंथों तक हिंदू शब्द नहीं था। यह उस कालखंड में नहीं था। हठपूर्वक कुछ लोग जोड़ने की कोशिश करते हैं। बाद के काल में बार्हस्पत्य शास्त्र में, विष्णु पुराण में उल्लेख आना प्रारंभ हो जाता है। फिर भी बहुत प्रचलन में नहीं है, बहुत साहित्य में नहीं है। बीच-बीच में उदाहरण मिलते हैं। पारसियों के ग्रंथ 'जेंद अवेस्ता' में उदाहरण मिलता है। उसमें राजा को एक अतिथि का परिचय कराते हुए उल्लेख किया गया है कि हिंद देश से व्यास नाम का ब्राह्मण आया है। अब हिन्द देश यानि वह हिंदू ही है। उसी कालखंड में चीन में भी अनेक बार भारत के लिए इस शब्द का प्रयोग हुआ है।

हिंदुत्व की प्रस्तुति करते समय इन सब बातों का ध्यान रखते हुए, शब्दों का चयन थोड़ी सावधानी से करना चाहिए। रूढ़ि-कुरीति को पूरी तरह से नकार देना है। जो गलत है, वह गलत ही रहेगा। जो मूल चिन्तन के अनुरूप है, तथ्य परक है, काल सुसंगत है, युगानुकूल है, वह हम रखेंगे। किसी भी प्रकार के भेदभाव को स्वीकार नहीं करेंगे। आज की स्मृति भारत का संविधान है और इस संविधान में हिंदुत्व की आत्मा है। हिंदुत्व की प्रस्तुति में आध्यात्मिकता, समृद्धि, आधुनिकता, पुरातनता और एकात्मता इन सब का समावेश करना चाहिए। सबकी पहचान को सुरक्षित रखने वाला और सबको साथ लेकर चलने वाला ही हिंदुत्व का विचार है।

'हिंदुत्व', 'भारत' इन सब विषयों की चर्चा करते समय यह समझना होगा कि हजार वर्ष की पृष्ठभूमि हमारे पास है। हम कोई नई व्याख्या नहीं कर रहे हैं। आज समाज में उठ रहे प्रश्नों का उत्तर कैसे देना है? उत्तर देने के बाद चार नए प्रश्न नहीं खड़े होने चाहिए, अपितु एक बात कहने से चार प्रश्नों का समाधान अपने आप होना चाहिए। इन सारी सावधानियों को ध्यान में रखकर एक बार पुनः हिंदुत्व की युगानुकूल प्रस्तुति करना सीखना होगा।

गत दो हजार वर्ष से दुनिया जिस रास्ते पर चली, उससे अब वह स्वयं भी परेशान है। इस्लाम और ईसाईयत विश्व में जहां-जहां गए, वहां उन्होंने क्या किया? पिछले सौ सालों में जहां भी साम्यवाद, अमेरिकावाद या वैश्विक बाजारी बल प्रभावी हुए, वहां के समाजों के परस्पर संघर्ष,पर्यावरण के प्रश्न, टूटते हुए परिवार, समस्त समाज में एक असंतोष, अनास्था और अविश्वास का वातावरण बना। आज सबको यह लगता है जिस रास्ते पर हम चले, वह ठीक नहीं था। इसीलिए हर कोई विकल्प चाहता है और वह विकल्प भारत के अलावा कोई नहीं दे सकता। समाज के सामने उपरोक्त सब चुनौतियों एवं प्रश्नों का समाधान करने वाला भारतीय विचार ही है और इसी रूप में हिंदुत्व की प्रस्तुति करनी होगी, जिसका एक स्वरूप भारत के मूल संविधान में दृष्टिगत होता है। ■

(संकलन)

भारतीय संविधान : एक दृष्टि

■ लक्ष्मीनारायण भाला

किसी भी देश का संविधान, उस देश के मौलिक चिंतन का दस्तावेज होता है। उसी के आधार पर देश का शासन, प्रशासन एवं जन-जीवन संचालित होता है। भारत को सम्पूर्ण प्रभुत्वसंपन्न एवं लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाए रखने के लिए भारत का संविधान हमारा मार्गदर्शक ग्रंथ है। स्वतंत्र भारत के संविधान की उद्देशिका में जिन पांच विषयों की स्वतंत्रता सुनिश्चित की गई है, वह हैं-विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना। विचार सोच से बनते हैं, अभिव्यक्ति शब्दों एवं भाव-भंगिमाओं से प्रकट होती है, बुद्धि के तर्कों से विश्वास स्थापित होता है, श्रद्धा से धर्म धारण किया जाता है एवं उपासना भक्तिभाव से पालन होने वाली क्रिया है अर्थात सोच, भाषा, तर्क, श्रद्धा एवं भक्ति के द्वारा हर व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारने की स्वतंत्रता संविधान प्रदान करता है। संविधान ने यह भी माना है कि व्यक्ति की गरिमा इसी में है कि राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए वह दृढ़ संकल्पित है। भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्वसंपन्न एवं लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए कृतसंकल्प हम भारत के लिए, लोगों के लिए, यह संविधान ही धर्मग्रन्थ है। इसे उसी श्रद्धाभाव से हम सब देखें, यह स्वाभाविक है। यही अपेक्षित भी है अथवा यदि कहा जाए कि यह अनिवार्य है तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी।

भारत के राजकीय प्रतीक के रूप में जिसे संविधान सभा ने स्वीकार किया है, वह मूलतः अपने पैरों के बल पर खड़े होकर चारों दिशाओं में देखने वाले चार सिंहों की मुखाकृति है। जिस आधारशिला पर यह सिंह खड़े हैं, उसके चारों ओर 24 सलाखों से युक्त चार चक्र हैं। इन धर्म चक्रों के बीचोंबीच दौड़ता घोड़ा, चलने के लिए तत्पर नंदी, अपने बल को दर्शाता हुआ हाथी एवं सतर्कता से खड़ा हुआ सिंह-इस प्रकार की चार आकृतियां अंकित हैं। यह एक दिशा से देखने पर जितना एवं जिस रूप में

(संविधान में अंकित भगवान नटराज का रेखाचित्र : साभार)

दिखाई देगा, उतना ही चित्रांकित होने के कारण एक चक्र और दोनों चक्रों के किनारे दिखाई देते हैं। हाथी और सिंह तथा आधारशिला के नीचे घंटी के समान लटकता उल्टा कमल पुष्प आंखों से ओझल है।

सम्राट अशोक ने यह स्तम्भ बौद्ध मत में अपनी आस्था के प्रतीक रूप में सारनाथ में स्थापित कराया था। मुण्डकोपनिषद में वर्णित श्लोक 'सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा विततो देवयानः (3/1/6) से अंतिम विजय सत्य की होती है, यह भाव प्रकट होता है। उसी भाव को रेखांकित करने हेतु उसी श्लोक से 'सत्यमेव जयते' अंश को भारत के इस राजकीय चिह्न के नीचे देवनागरी लिपि में भारत के बोध वाक्य के रूप में लिखा गया है। पराक्रम एवं त्याग का समन्वय स्थापित करने वाले सम्राट अशोक को अपना आदर्श मानकर उसके पदचिन्हों पर चलने

की प्रेरणा मिलती रहे, यही सोचकर 'अशोक चिह्न' को राजकीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया है।

ईस्वी पूर्व 2500 अर्थात प्रायः 4500 वर्ष पूर्व के अखंड भारत के सिंध प्रान्त (अब पाकिस्तान) की तत्कालीन सांस्कृतिक राजधानी मोहनजोदड़ो थी। यहां पर शक्ति-संपन्नता का प्रतीक तथा महादेव शिव के वाहन 'नंदी' को मुहर के रूप में स्वीकार किया गया था। इसी मुहर को संविधान के प्रथम भाग के शीर्ष पर अंकित किया गया है। भारत नवनिर्मित देश नहीं, यह तो चिर-पुरातन है। प्रायः पांच हजार वर्ष पूर्व की वस्तुएं आज भी उपलब्ध हैं। जिस सिंध प्रान्त में मोहनजोदड़ो अवस्थित है, वह राजनीतिक या प्रशासनिक दृष्टि से भले ही आज भारत में न हो, परन्तु सांस्कृतिक दृष्टि से वह भारत का ही भू-भाग था और रहेगा भी। यह सन्देश स्थायी से रूप से भारतीयों को मिलता रहे एवं उसे पाने के लिए शक्ति-सम्पन्नता एवं कर्मठता में हम भारत के लोग उदासीन न हो जाएं, यह संविधान निर्माताओं का सपना था। हम भारत के लोग संविधान निर्माताओं की इस मनीषा को न भूलें, इसी अपेक्षा के साथ यह मुहर प्रथम भाग में लगाई गई है।

संविधान के भाग-दो का प्रारम्भ वैदिक काल के एक चित्र द्वारा होता है। वैदिक काल के किसी आश्रम के साथ संचालित किए जा रहे गुरुकुल का यह चित्र है। संविधान के इस भाग का मूल विषय है-नागरिकता। योग्य नागरिक ही नागरिकता की गरिमा को बनाए रख सकता है। योग्य नागरिक बनने के लिए सर्वप्रथम योग्य शिक्षा एवं योग्य संस्कार पाना आवश्यक है। वैदिक काल की गुरुकुल प्रणाली, शिक्षा एवं संस्कार पाने की परखी हुई, प्रमाणित एवं प्रभावी कार्यप्रणाली है। भारतीय शिक्षा व्यवस्था के स्थान पर अंग्रेजों द्वारा आरोपित शिक्षा व्यवस्था के कारण भारतीय समाज आत्मग्लानि से ग्रस्त है। कई पीढ़ियों से जड़ जमाए बैठी इस अभारतीय शिक्षा प्रणाली के आमूल परिवर्तन की प्रक्रिया की गति बढ़ेगी तो लक्ष्य प्राप्ति की दूरी घटेगी। इस गति को बढ़ाना आवश्यक है। यही सन्देश संविधान के भाग-दो का 5 से 11 अनुच्छेद हमें देता है।

संविधान का भाग-3, अनुच्छेद-12 से 35 अर्थात 24 अनुच्छेदों से परिपूर्ण है। मूल अधिकार अथवा मौलिक अधिकार इन अनुच्छेदों का मुख्य विषय है। अहंकारी बनकर अन्याय करने वाला शासन मौलिक अधिकारों की परवाह नहीं करता, अतः उसकी रक्षा भी नहीं कर सकता है। परिणामतः वह अधिकारों का हनन ही करता है। यही कारण था कि भगवान श्रीराम ने अपने चौदह वर्ष के वनवास के दौरान बाली का वध कर सुग्रीव को राजपाट सौंपा। रावण का वध कर विभीषण को राजपाट सौंपा। अंततः श्रीरामचंद्र जी ने अपने पूर्व निर्धारित राज्य का अधिकार पाकर अपना कर्तव्य निभाने की भावना से अयोध्या की ओर प्रस्थान किया। सत्ता पाकर अहंकारी होने के विपरीत चौदह वर्ष तक सत्ता में रहकर भी सत्ता के प्रति मोह न होने का विश्वास दिलाने वाली भाई भरत के पास उसी विश्वास के साथ भाई श्रीराम का जाना, एक आदर्श एवं अद्भुत घटना है। भगवान श्रीराम का पुष्पक विमान से सीता एवं लक्ष्मण के साथ अयोध्या की ओर जाते हुए का वही रेखाचित्र संविधान के भाग-3 के आरंभ में होना, संविधान निर्माताओं के मन की इसी बात का द्योतक है कि उन्हें भारत में रामराज्य की पुनः प्रतिष्ठा की कामना है। भारत की आत्मा जागृत हो, यही उनका सपना है।

संविधान के भाग-4 में राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, संघ-राज्य की कार्यपालिका, न्यायाधीशों की भूमिका, लोक प्रतिनिधियों की भूमिका तथा देश के प्रशासकों के कर्तव्य आदि का उल्लेख है। अनुच्छेद-36 से 51 तक के 16 अनुच्छेदों वाले इस भाग पर महाभारत काल का वह ऐतिहासिक प्रसंग चित्रांकित किया है, जिसमें सोलह कलाओं से परिपूर्ण भगवान श्रीकृष्ण ने दुनिया को गीता के रूप में एक अद्भुत एवं सारगर्भित ग्रंथ दिया है। गीता ज्ञान के प्रसंग को संविधान के भाग-4 पर अंकित करने का उद्देश्य स्पष्ट है, संकेत स्पष्ट है, सन्देश भी स्पष्ट है। स्वाधीनता प्राप्ति के बाद पूरे देश में कहीं ख़ुशी-कहीं दुःख का वातावरण था। निराशा को आशा में, हताशा को प्रत्याशा में बदलना आवश्यक था। देश को दुविधाग्रस्त मानसिकता से उबारना जरूरी था। यही काम युद्ध क्षेत्र में भगवान श्रीकृष्ण को करना पड़ा। संविधान के नीति-निर्देशक तत्व एवं मूल कर्तव्य वाले इस चतुर्थ भाग का निचोड़ अपेक्षित है। भारत को विजय प्राप्ति का लक्ष्य प्राप्त होने तक भारत के नेताओं को अपना कर्तव्य निष्ठा के साथ निभाना है। अंततः उनके लिए गीता के उपदेशों का स्मरण करते रहना जरूरी है। संविधान निर्माताओं के सपनों के भारत को पाना तभी सम्भव होगा।

भारतीय संविधान के पांचवें भाग में अनुच्छेद-52 से लेकर अनुच्छेद-151 तक कुल 100 अनुच्छेद समाहित

(संविधान में अंकित भगवान कुबेर का रेखाचित्र : साभार)

हैं। कार्यपालिका, संसद, राष्ट्रपति-उपराष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, न्यायपालिका तथा नियंत्रक महालेखा परीक्षक की भूमिका आदि प्रमुख अध्यायों से युक्त यह भाग वस्तुतः जनतंत्र के प्रमुख स्तम्भों के कर्तव्यों को स्पष्ट करने वाला भाग है। संविधान के कुल 22 भागों में सर्वाधिक अनुच्छेदों वाला यह भाग विस्तार के नाते ही नहीं, अपितु विषय-वस्तु की गहराई की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। अधिकार प्राप्त व्यक्ति की कर्तव्यपरायणता को स्पष्ट करने वाली गहनता इसी भाग में है। गहन विषयों पर गहन चिंतन और मनन के लिए प्रथम प्रयोजन है, मन का शांत होना। यही कारण है कि संविधान निर्माताओं ने इस भाग के प्रारम्भ में शांत मन से शांत परिवेश में शांति का सन्देश देने वाले भगवान बुद्ध को एक उपदेशक के रूप में चित्रांकित किया है।

संविधान के भाग-6 में भारत की राज्य रचना, राज्य की कार्यपालिका, विधानमंडल, राज्यपाल, उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय के कर्तव्य एवं अधिकारों की व्याख्या की गई है। भाग-6 में भगवान महावीर को चित्रांकित करने के मूल में यही संकेत है कि छह कालों के कालचक्र की सनातन प्रक्रिया को स्वीकार करते हुए निरंतर आगे बढ़ना है। अनुच्छेद-152 से 237 तक अर्थात 86 अनुच्छेदों को समाहित करने वाला यह भाग कर्तव्य पालन की दिशा निश्चित करने वाला भाग है।

भारत के संविधान में अब तक 106 संशोधन हो चुके हैं, परन्तु 1956 में किया गया संशोधन अपने-आप में एक उदाहरण बन गया। संविधान अंगीकृत करने के बाद सातवें वर्ष में किए गए इस सातवें संशोधन से संविधान का सातवां भाग ही निरस्त हो जाता है। सातवें भाग में केवल एक ही अनुच्छेद (अनुच्छेद-138) था। उस एक अनुच्छेद को निरस्त करने वाले संशोधन के कारण एक भाग का निरस्त हो जाना एक अद्भुत संयोग ही कहा जाएगा। मूल संविधान की अनुसूची (1) में राज्यों की सूची दी गई थी। क, ख, ग, घ इन चार हिस्सों में क्रमशः 9+9+10+1 कुल 29 राज्यों की सूची थी। संविधान रचना के समय से ही यह मांग उठाई जा रही थी कि प्रान्त रचना भाषा के आधार पर हो। तेलगु भाषी राज्य की मांग, उसके लिए आमरण अनशन, अनशन करने वाले का बलिदान और अंततः 1956 में आंध्र राज्य का गठन होना, यह भाषा आधारित प्रान्त बनने का पहला उदाहरण बन चुका था। यद्यपि 1949 में जवाहर-वल्लभ-पट्टाभि अर्थात जेवीपी समिति बना दी गई थी, जिसे राज्य रचना की नीति निर्धारित करनी थी। उनके सुझावों पर खुली बहस और आंध्र जैसे अन्य भागों में हो रहे आंदोलनों के कारण इसके क्रियान्वयन में विलम्ब होता रहा। अंततः 1956 में लाए गए संशोधन के आधार पर अनुसूची-1 एवं 2 और अनुच्छेद-138 पर उसका असर पड़ा। अनुसूची-1 चार हिस्सों से सिमटकर दो हिस्सों में रह गई अर्थात परिपूर्ण राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। राज्य पुनर्गठन की प्रक्रिया के कारण ही यह मौलिक परिवर्तन हुआ। इस भाग में जो चित्र अंकित है, वह मौर्य काल की विशेष परिस्थिति को सामने रखता है। भय और विकार से मुक्त समाज के इस स्वरूप को दर्शाता यह चित्र मौर्यकालीन सपनों के भारत बनने की आकांक्षा को स्पष्ट करता है।

संविधान के आठवें भाग में अनुच्छेद-239 से 242 तक कुल चार अनुच्छेद हैं। यद्यपि सातवें संशोधन के कारण अनुच्छेद-242 भी निरस्त हो चुका है। अतः आठवें भाग में केवल तीन अनुच्छेद ही बचते हैं। इन अनुच्छेदों में भारत के राज्य क्षेत्रों का प्रशासन, तदर्थ विधानमंडल एवं मंत्रिपरिषदों का गठन, दिल्ली के विषय में विशेष उपबंध, संवैधानिक तंत्र विफल होने पर अध्यादेश जारी करने का अधिकार आदि को स्पष्ट किया गया है। प्रशासन से सम्बंधित इस आठवें भाग पर फलों से लदे हुए वृक्ष, ऊंचे-ऊंचे मकान एवं छलांग लगाते हुए कुबेर को चित्रांकित किया गया है। भारत के इतिहास में गुप्त युग को भारत का स्वर्ण युग कहा गया है। आर्थिक क्षेत्र में जोखिम भरे कदम उठाए जाएंगे, छलांग लगाई जाएगी तो देश का सर्वांगीण विकास सम्भव हो पाएगा, यह स्पष्ट करने वाला यह चित्र संविधान निर्माताओं की इसी मनीषा को स्पष्ट करता है।

संविधान के भाग-9 को 9(क) तक विस्तारित किया गया है। ऐसा विस्तार इससे पूर्व 4 एवं 4(क) तथा बाद में 14 एवं 14(क) में देखा गया है। यही कारण है कि संविधान के भाग भले ही 22 हों, परन्तु तीन भाग के (क) विस्तार के कारण संविधान 22 के स्थान पर (22+3) 25 भागों में विभाजित किए जाने की बात कही जाती है। भाग-9 एवं 9(क) की विशेषता यह भी है कि केवल एक ही अनुच्छेद इन दोनों भागों में व्याप्त है। पंचायत एवं नगरपालिकाएं, उनका गठन, संरचना, अवधि, उनकी शक्ति एवं प्राधिकार, वित्तीय व्यवस्था, निर्वाचन एवं निर्वाचन सम्बन्धी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का निषेध आदि बातों के लिए आवश्यक नीति-नियम इस भाग एवं अनुच्छेद के मुख्य विषय हैं। इस भाग के प्रारम्भ में गुप्त वंश के शासक विक्रमादित्य के दरबार का दृश्य एवं अंत में उस युग की मुहर चित्रांकित है, जो भारतीय इतिहास के स्वर्णकाल का द्योतक है।

संविधान के भाग-10 में भी एक ही अनुच्छेद-244 को 244(क) तक विस्तारित कर सर्वसुलभ शिक्षा की भावना समाविष्ट की गई है। अनुसूचित क्षेत्रों एवं जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन इस अनुच्छेद का मूल विषय है। इस भाग के प्रारम्भ में प्रख्यात नालंदा विश्वविद्यालय के प्रशासन की मुहर एवं अंत में इसी विश्वविद्यालय के विशाल भवनों को चित्रांकित कर उसमें होने वाली शिक्षा एवं संस्कारों को स्पष्ट करने वाला परिदृश्य उपस्थित किया गया है। सातवीं सदी में दस हजार से अधिक छात्रों एवं पंद्रह सौ से अधिक आचार्यों वाला यह विश्व का वह सबसे बड़ा शिक्षा केंद्र था, जिसे मोहम्मद खिलजी तथा उसके बाद कई आक्रमणकारियों ने तहस-नहस कर दिया। ईसा पूर्व 452 से ईसा बाद 415 तक के काल खंड में स्थापित उस विशाल एवं श्रेष्ठ परिसर के समान कोई शिक्षा केंद्र भारत में स्थापित हो, यही संविधान निर्माताओं की आकांक्षा थी। समाज का कोई भी तबका शिक्षा से वंचित न रह जाए, यह संकल्पना संविधान के इस दसवें भाग का मूल लक्ष्य है।

केंद्र सरकार एवं राज्यों के बीच सम्बन्ध, विधायी शक्तियों का वितरण, प्रशासनिक सम्बन्ध, राज्यों पर संघ (केंद्र) का नियंत्रण, आपातकाल की घोषणा जैसी स्थिति, अंतर्राज्यीय संबंधों को सुदृढ़ करने वाले विषय, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों एवं करारों को प्रभावी करने के लिए विधान, राज्यों को अधिक शक्ति देने के प्रावधान आदि कई बातों का सूक्ष्मता से विचार करने वाला भाग है संविधान का 11वां भाग। अनुच्छेद-245 से 263 तक 18 अनुच्छेदों में इसे समाहित किया गया है। परम्परागत व्यवस्थाओं के अनुसार किसी शासक या राजा का आधिपत्य जब अन्य छोटे राजे-रजवाड़े भी स्वीकार करने लगते हैं, तो उस राज्य को यथा समय अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन कर अपने सार्वभौमित्व पर मुहर लगवानी पड़ती थी। यही मान्यता इस संविधान में भी प्रकट हो, यही सोचकर संविधान निर्माताओं ने राज्य एवं केंद्र के बीच होने वाले संबंधों को 11वें भाग के प्रारम्भ में अश्वमेघ यज्ञ के प्रतीकात्मक चित्र द्वारा स्पष्ट किया है।

संविधान के भाग-12 में वित्त, संपत्ति, संविदा तथा वादों से सम्बंधित नीति-नियमों को स्पष्ट किया गया है। अनुच्छेद-264 से 300 तक कुल 37 अनुच्छेदों को समाहित करने वाले इस भाग में वित्त आयोग के गठन से लेकर लोकलेखा, आकस्मिक निधि, केंद्र एवं राज्यों के बीच राजस्वों का वितरण, अनुदान, वृत्तियों-व्यापारों-आजीविकाओं एवं नियोजनों पर कर, संपत्ति का अधिकार, उत्तराधिकार तथा उससे सम्बंधित वादों आदि विषयों का बारीकी से विश्लेषण किया गया है। संविधान के इस भाग में प्रारम्भ में एक स्वस्तिक का चिह्न तथा नटराज का चिह्न अंकित है। स्वस्तिक (सु+अस्ति+क) अर्थात शुभ होने का विश्वास दिलाने वाला प्रतीक है। अर्थ ही अनर्थ का मूल है, परन्तु वही अर्थ सही मार्ग से अर्जित कर सही कार्य में व्यय किया जाए तो सार्थक हो जाता है। यह हर्षदाता तथा

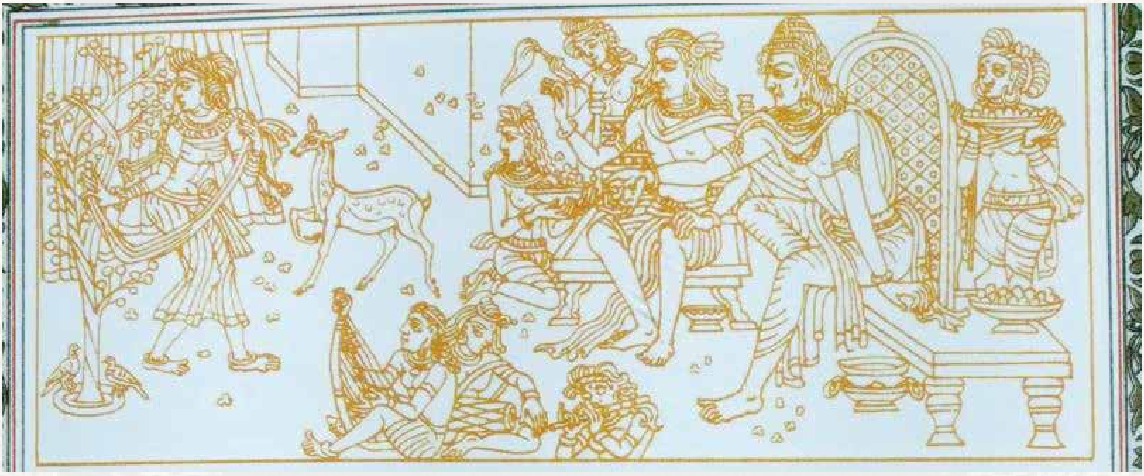

(संविधान में अंकित गुप्त वंश के राजा विक्रमादित्य के दरबार का रेखाचित्र : साभार)

सुखदाता बन जाता है। हर्षित मन आनंदमग्न होकर नृत्य करने लगता है। संविधान के 12वें भाग में स्वस्तिक के साथ दिया गया नटराज का चित्र उसी हर्ष को दर्शाता है। लेकिन स्वस्तिक का चित्र संविधान में सम्भवतः सावधानीपूर्वक नहीं आंका गया। उसकी बाहरी चार रेखाएं दक्षिणगामी न होकर वामगामी हो गई है। चिह्न उल्टा अंकित हो गया है और चार बिंदुओं का अभाव है। इसे तकनीकी भूल मानकर स्वस्तिक चिह्न को उसके मूल स्वरूप में रखना आवश्यक है क्योंकि खंडित प्रतिमा या उसका चित्र अशुभ लक्षणी हो जाता है और यह असंभव नहीं है।

संविधान का भाग-13 अनुच्छेद-301 से लेकर 307 तक, कुल 8 अनुच्छेदों में सिमटा हुआ है। भारत के राज्य के भीतर व्यापार-वाणिज्य एवं आंतरिक लेन-देन की नीतियों को स्पष्ट करने वाली इन आठ धाराओं में व्यापार-वाणिज्य एवं लेन-देन की स्वतंत्रता, केंद्र एवं राज्य की विधायी शक्तियां, निर्बंधन से निश्चित की गई सीमाएं, राज्यों के एकाधिकार का उपबंध निश्चित करने के नियम, पहली अनुसूची में सूचीबद्ध कुछ राज्यों की निर्बंधन एवं अधिरोपण शक्ति तथा अनुच्छेद-301 से 304 तक प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए प्राधिकारी की नियुक्ति की व्यवस्था आदि विषय इस भाग में समाहित हैं। स्पष्ट है कि देश के व्यापार-वाणिज्य की आदर्श स्थिति की कल्पना करते हुए उसे धरातल पर लाना कठिन कार्य है। प्रयत्नों की पराकाष्ठा करने पर ही यह संभव हो पाएगा। यही कारण है कि संविधान के इस 13वें भाग में राजा भगीरथ द्वारा हुए गंगावतरण के प्रसंग को चित्रांकित किया है। यह अपने आप में भारत की एकात्मता का सन्देश देने वाली बात है। हम भारत के लोग 'भगीरथ प्रयास' इस कहावत से भली-भांति परिचित हैं। किसी कठिन लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्नों की पराकाष्ठा का दूसरा नाम है 'भगीरथ प्रयास'।

संविधान के अनुच्छेद-308 से लेकर 323 तक कुल 16 अनुच्छेद भाग-14 में समाविष्ट किए गए हैं। इसी भाग के विस्तार-14(क) में अनुच्छेद-323 के ही क तथा ख अंश को समाहित किया गया है। केंद्र और राज्य के अधीन आने वाली सेवाएं इस भाग के प्रथम अध्याय और दूसरे अध्याय में अनुच्छेद-315 से 323 तक लोक सेवा आयोग के गठन से लेकर राष्ट्रपति एवं राज्यपालों को वार्षिक प्रतिवेदन देने की प्रक्रिया तक सभी कर्तव्यों का विस्तृत ब्यौरा दिया गया है। साथ ही 14(क) में प्रशासकीय अधिकरण तो 14(ख) में अन्य विषयों के बीच अधिकरणों के गठन एवं कर्तव्य आदि को स्पष्ट किया गया है। संविधान के इस भाग में अकबर के दरबार का चित्र चयनित किया गया। संविधान निर्माताओं द्वारा चयनित इस चित्र का स्पष्ट सन्देश है कि मुगलकाल का वही बादशाह हमें स्वीकार है, जो लोकतंत्र, कला, संस्कृति एवं केंद्र तथा राज्य के आपसी संबंधों में समंजस्यपूर्ण वातावरण बना पाया हो। अकबर इस कसौटी पर कुछ मात्रा में खरा उतरता है, ऐसा संविधान निर्माताओं ने माना होगा।

संविधान के 15वें भाग का मुख्य विषय निर्वाचन है। यह

22 भागों एवं 3 उपभागों में बंटा हुआ है। अनुच्छेद-324 से 329 तक कुल छह अनुच्छेदों में इसके नीति-नियम लिपिबद्ध किए गए हैं। अनुच्छेद-329 के विस्तार (क) संविधान के 44वें संशोधन द्वारा निरसित कर दिया गया है। अनुच्छेद-329 में निर्वाचन सम्बन्धी मामलों में न्यायालयों का हस्तक्षेप सीमित किया गया है। साथ ही लोकतंत्र के इस प्रमुख आधार स्तम्भ की स्वायत्तता का भी ध्यान रखा गया है। संविधान के इस 15वें भाग में महापुरुष छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविन्द सिंह के चित्रों से सजाया गया है। लोक प्रतिनिधियों के निर्वाचन का मापदंड देश एवं धर्म के प्रति सर्वस्वार्पण की मानसिकता को माना जाना चाहिए। यही सन्देश इन चित्रों के चयन द्वारा दिया गया है।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए पूर्णतः समर्पित है संविधान का 16वां भाग। इसमें अनुच्छेद-330 से 342 अर्थात कुल 13 अनुच्छेद समाहित हैं। लोकसभा में स्थानों का आरक्षण, इस हेतु आयोग का गठन, अनुसूचितों-पिछड़े वर्गों की दशाओं की स्थिति जानने के लिए अन्वेषण आयोग का गठन, अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों की सूचियों का समय-समय पर पूर्णावलोकन आदि का स्पष्टीकरण इस भाग का मुख्य विषय है। साथ ही आंग्ल-भारतीय समुदाय का भी इसमें विशेष ध्यान दिया गया है। इस भाग के लिए संविधान निर्माताओं ने जिन चित्रों के चयन को मान्य किया, उनमें टीपू सुल्तान और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई शामिल हैं।

संविधान का 17वां भाग देश की भाषा के लिए समर्पित है। चार अध्यायों में विभाजित इस भाग में प्रथम अध्याय में देश (संघ) की भाषा के विषय में स्पष्ट लिखा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी और अंक अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त भारतीय अंक होंगे, यथा 1, 2, 3। दूसरे अध्याय में प्रादेशिक भाषाओं से सम्बंधित नीति, तीसरे अध्याय में न्यायालयों की भाषा और चौथे अध्याय में प्राथमिक स्तर पर शिक्षा के माध्यम मातृ भाषा के विषय में निर्देश हैं। 17वें भाग में अनुच्छेद-343 से 351 तक के कुल 9 अनुच्छेदों के अंतिम अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए स्पष्ट निर्देश है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए। मातृ भाषा में प्राथमिक शिक्षा ग्रहण कर अंग्रेजी में क़ानूनी शिक्षा प्राप्त करने वाले तथा हिंदी के अनन्य समर्थक सर्वमान्य जननेता मोहनदास करमचंद गांधी के चित्र को इस भाग के शीर्ष में अंकित किया गया है। यह चित्र उनके नेतृत्व में हुए ऐतिहासिक दांडी मार्च के समय का है।

संविधान का भाग-18 देश में गंभीर आपात स्थिति का निर्माण होने पर किए जाने वाले प्रबंधों, उपबंधों आदि से सम्बंधित है। अनुच्छेद-352 से 360 तक कुल 9 अनुच्छेद में यह लिपिबद्ध है। इसमें पहला अनुच्छेद आपात स्थिति में राष्ट्रपति को संकट काल या आपातकाल घोषित करने का अधिकार देता है। घोषणा का प्रभाव, राजस्वों के वितरण के उपबंध, बाहरी आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से रक्षा के उपाय, संवैधानिक तंत्र की विफलता पर उपाय, धारा-356 में प्रदत्त विधायी शक्तियों का प्रयोग, अनुच्छेद-19 में वाक् स्वातंत्र्य का निलंबन, भाग-3 में दिए गए मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन तथा वित्तीय संकट से उबरने के उपाय आदि विषयों का विस्तृत विश्लेषण इस भाग में समाहित है। इस 18वें भाग के मुख्य विषय की पृष्ठभूमि को स्पष्ट करने हेतु संविधान निर्माताओं ने उसी समय के मर्मस्पर्शी चित्र का चयन किया है। उसमे महात्मा गांधी द्वारा तत्कालीन बंगाल के सर्वाधिक अशांत क्षेत्र नोआखाली में शांति स्थापना हेतु किए गए प्रयासों का चित्रीकरण किया गया है। क्या अब भी हम गांधी जी कल्पना के रामराज्य की स्थापना के लिए हिन्द स्वराज, ग्राम राज, पंचायती राज, बुनियादी शिक्षा आदि भारतीय अवधारणाओं का अनुसरण करेंगे? यह चित्र इसी संदेश को हम तक पहुंचा रहा है। आपसी भाईचारा ही संविधान निर्माताओं की मनोकामना रही है।

शासन एवं प्रशासन से सम्बंधित पदाधिकारियों, पदों, आयोगों, मंडलों तथा अन्य व्यवस्थाओं से जुड़े कई बिंदुओं पर संविधान के 19वें भाग में अनुच्छेद-361 से 367 तक चर्चा की गई गई है। राष्ट्रपति, राज्यपाल एवं राजप्रमुखों को संरक्षण देने वाले अनुच्छेद-361 को विस्तार देते हुए उसके (क) उप-अनुच्छेद में संसद, राज्यों एवं विधानमंडलों की कार्यवाहियों के प्रकाशन के संरक्षण का एवं (ख) उप-अनुच्छेद में लाभप्रद राजनीतिक पदों पर नियुक्ति की योग्यता-अयोग्यता आदि का स्पष्टीकरण किया गया है। अनुच्छेद-362 में देशी राज्यों के शासकों के अधिकार-विशेषाधिकार का उल्लेख किया गया था, जिन्हें 26वें संशोधन द्वारा 1971 में निरसित कर दिया गया। अनुच्छेद-363 में कुछ संधियों, करारों आदि से उत्पन्न

(संविधान में अंकित सम्राट अशोक के मौर्यकाल का रेखाचित्र : साभार)

विवादों में न्यायालय का हस्तक्षेप वर्जित किया गया है। साथ ही 363 (क) के कारण देशी राजे-रजवाड़ों की मान्यता समाप्ति एवं विशेष आर्थिक सुविधाओं की समाप्ति आदि विषयों को स्पष्ट किया गया है। अनुच्छेद-364 में हवाई अड्डों एवं बंदरगाहों को दी गई विशेष सुविधाओं का उल्लेख किया गया है, जबकि अगले अनुच्छेद में संविधान में उल्लिखित कुछ विशेष शब्दों को परिभाषित एवं व्याख्यायित भी किया गया है। दिसंबर-1943 में सुभाषचंद्र बोस ने गांधी जी से भारत की स्वाधीनता के लिए अंतिम युद्ध की तैयारी का संकेत देते हुए आशीर्वाद मांगा। संविधान के भाग-19 पर इसी घटनाक्रम को दर्शाने वाला चित्र अंकित है। यह चित्र श्रीअरविन्द की उस भविष्यवाणी का भी स्मरण कराता है कि विभाजन एक अस्थायी व्यवस्था है। भारत की अखंडता ही भारत को उचित सम्मान एवं स्थान दिलाएगी। यही भारत की नियति है।

संविधान के भाग-20 में अनुच्छेद-368 है, जिसमें संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसकी प्रक्रिया को दर्शाया गया है। भाग-21 में अनुच्छेद-369 से 392 तक कुल 24 अनुच्छेद हैं। भूमि के सीमांकन द्वारा राज्यों की रचना तथा उसकी सुरक्षा के लिए न्याय एवं अर्थव्यवस्था से जुड़े कई उपबंध इन अनुच्छेदों में समाविष्ट किए गए हैं। इस भू-भाग पर आने वाले संभावित संकटों तथा आए हुए संकटों से रक्षा का दायित्व जिनका है, उन राष्ट्रपति की शक्ति को भी इसी भाग में स्पष्ट किया गया है। अंत में संविधान के अनुच्छेद-393, 394 तथा 395 को समाहित करने वाले भाग-22 में मूल रूप में अंग्रेजी से लिखे गए संविधान का हिंदी अनुवाद, संविधान सभा द्वारा स्वीकृत भाषा, शैली एवं शब्दावली में छापने के प्रावधान के साथ उसे प्रकाशित करने का अधिकार दिया गया है। भारत शासन अधिनियम-1935 को निरसित कर भारतीय संविधान को क्रियान्वित करने का प्रारम्भ 26 जनवरी 1950 से होगा, इस बात को भी इसी अंतिम भाग के अंतिम अनुच्छेद में स्पष्ट किया गया है।

संविधान के भाग-20 में दिया गया चित्र खुले आकाश के साथ हिमालय की पर्वतमालाओं का है, जबकि भाग-21 में मरुभूमि का चित्र देकर उपजाऊ एवं बंजर भूमि के अंतिम स्वरूप को दर्शाया गया है। संविधान का अंतिम चित्र भाग-22 में है, जिसमें सागर और उसमें चलने वाली नौका तथा जहाज का चित्र देकर उसकी उपयोगिता को स्पष्ट किया गया है। भारत की सुरक्षा के लिए गठित जल-थल एवं नभ की सेना का यही दायित्व बनता है कि वह तीनों अंगों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए संविधान के क्रियान्वयन को सुचारु बनाने में मददगार बनें।

शासन, प्रशासन एवं न्याय व्यवस्था लोकतंत्र के इन तीन स्तम्भों को संविधान निर्माताओं ने देश की सम्प्रभुता का आधार माना है। उसकी रक्षा का दायित्व जल-थल-नभ की सेना है। इस प्रकार तीन स्तम्भों एवं इन स्तम्भों के रक्षक तथा पोषक बनने का सौभाग्य 'हम भारत के लोगों में' जिन-जिन को प्राप्त होता रहेगा, वह ही वास्तव में भारत के भाग्य विधाता हैं। ■

History and the making of the preamble

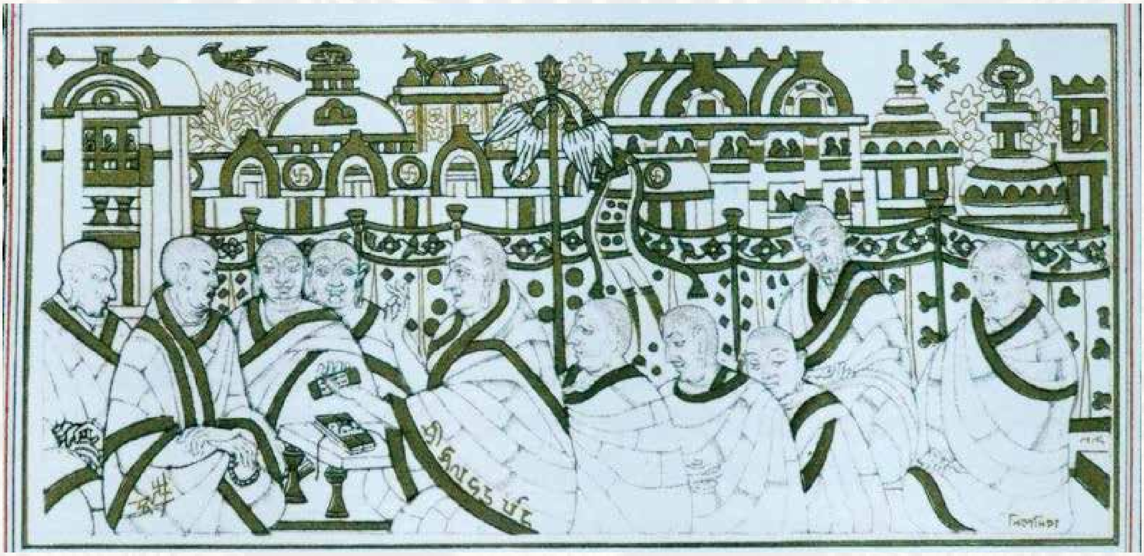

(The sketch of Nalanda University inscribed in the Constitution : Courtesy Indian Constitution)

Dr. Pradeep Kumar

In December 1946, a defining moment in India's history unfolded as the Constituent Assembly began drafting the nation's Constitution. This event marked a pivotal step in shaping India's identity, governance, and future as an independent and unified nation. On December 13, the Assembly held its inaugural session, where Jawaharlal Nehru presented the Objective Resolution. Although Nehru clarified that the resolution would not form part of the Constitution itself, it outlined a visionary framework that would guide India's governance and encapsulate the values and aspirations of a free nation.

The resolution established India as an independent nation under sovereign rule marking the nation's victory for freedom after decades of British invasion and foreign occupation. By asserting sovereignty India declared its independence and absolute authority to rule itself which marked a conclusion to foreign rule. According to Nehru sovereignty had to be based on democratic principles because democracy meant the people held all the power. In his perspective, everyone had the right to participate equally in governing the nation's direction. The basic bedrock principles of justice along with liberty and equality confirmed rights and opportunities for all beings upholding no restrictions based on religion caste gender or socioeconomic origin.

The Objective Resolution protected minority rights as its most vital component. A country as culturally diverse as India needed minority rights protection to establish unity across its various religious groups while creating peaceful relations among its citizens. According to Nehru, every community needed representation within India's democratic framework regardless of population size and social influence. Indian regional diversity received substantial recognition as part of creating a state

free from religious influence. India's secular framework would simultaneously protect both major religious group beliefs and the rights of individuals who identify without religious affiliation. Harmony in India's diverse society needed this approach for its successful establishment.

The resolution put fundamental rights protection at the foremost position while making them accessible for every citizen. The set of rights included the freedom to speak alongside the freedom to express oneself together with equal protection under the law. Through these enshrined principles, the Assembly pursued the mission to empower people while building an equitable framework that afforded everyone probable success. the framework Nehru set included political democracy alongside both social and economic initiatives. According to Nehru "Hitler's organizations should have mattered" since democracy traditionally focused on political participation as measured by voting rights alone. Having voting power alone fails to bring sufficient benefit to individuals whose life situations include being penniless or uncoming with food starving. A Constitution needs to consider both political rights and economic equality and social justice because democracy requires meaningful access for every citizen most strongly those living in poor conditions.

On December 16th 1946 the Assembly formalized its forward progress by approving the Objective Resolution. Through this act India established its identity as a democratic nation under the legislation which led Constitution writers during its drafting process. The Assembly made progress by creating an Advisory Committee which did the work of elaborating critical constitutional elements. This inclusive committee combined members with diverse backgrounds to create a Constitution that properly reflected all communities and especially heard from minority and marginalized populations.

The Assembly expanded its focus beyond constitutional drafting to create a democratic India that included all citizens. According to Nehru and other Indian leaders, the principle emerged that all religions should attain equivalent respect in a state founded on religious harmony. Indian secularism emerged as an essential part of nation-building that paved path into defining India as a democratic parliamentary republic.

On December 18, 1946, the Assembly addressed social economic justice. Nehru alongside Dr. B.R. Ambedkar campaigned for a society that identified and demolished systemic inequalities. The introduction of the Directive Principles of State Policy directed both future governments and their agencies to establish programs that would promote social welfare while fixing structural inequalities. Ambedkar dedicated his life to supporting oppressed communities by insisting justice needed to be updated according to societal requirements so the Constitution would remain an active force against present-day threats.

The meeting held on December 19, 1946,addressed the development of a fair judicial approach. Through its framework, the Assembly established fundamental principles that delivered justice across legal boundaries social conditions, and economic settings. According to their vision natural justice which promotes impartial constitutional judgment would create judicial trust and establish foundational political and legal principles.

During their session on December 21, 1946, the Assembly started discussing liberty because they acknowledged its central role in democratic systems. The Assembly designated fundamental freedoms including thought and expression and worship as necessary components for both personal growth and national prosperity. The proposed framework of

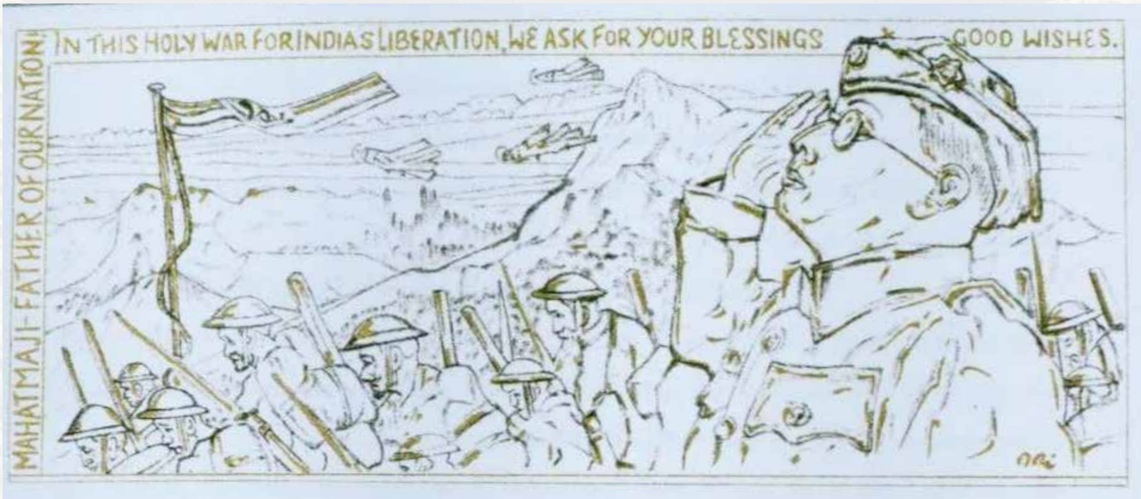

(The sketch of Netaji Subhas Chandra Bose, the founder of the Azad Hind Fauj, inscribed in the Constitution : Courtesy Indian Constitution)

freedoms would extend constitutional protection for residents to freely express their thoughts and concurrently pursue their dreams beyond any legal opposition or discriminatory barriers.

In the early months of 1947, the discussions expanded upon these core beliefs. On January 20 the Assembly established equality along with non-discrimination laws to provide equivalent rights including equal participation for every citizen regardless of personal background. Officials presumed this principle essential to build a society focused on earning achievements instead of prejudice and privilege. January 21 brought speakers into a dialogue about how to strengthen national unity along with fraternity. People gathered at the Assembly recognized that brotherhood played a vital role in uniting diverse communities across India thus their work focused on building national unity.

During the session of January 22 1947, the Assembly finally approved the final version of the draft Preamble for the Constitution. The Preamble distilled essential principles of sovereignty alongside democracy together with justice, liberty and equality. The Preamble established fundamental principles that guided the inclusive growth of India since it functioned simultaneously as constitutional guidance and national standard. Through its expression of these principles, the Preamble manifested evolutionary aspirations of an independent India which aimed to construct a social framework that simultaneously honored human dignity and embraced diversity with equal attention to citizen welfare.

The Constituent Assembly chose to adopt the Objective Resolution leading to critical decisions that established India's path toward democratic republic status. The vision established during these sessions evolved into the guidelines that shaped the national constitution which guided the country throughout multiple generations. Through their acceptance of justice with liberty and equality alongside fraternity principles the Assembly developed a structure that handled both short-term national building needs and long-term goals for an inclusive and equal society. During their deliberations, a nation on the verge of freedom expressed its aspirations to write its destiny for independence through democracy and progress while promoting national harmony.

तथ्यों में भारतीय संविधान

भारत में पहली बार संविधान सभा की मांग 1895 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्वराज विधेयक के माध्यम से की गई थी। 1925 में महात्मा गांधी की अध्यक्षता में कामनवेल्थ ऑफ इण्डिया बिल प्रस्तुत किया गया, जो भारत के लिए संवैधानिक प्रणाली की रूपरेखा प्रस्तुत करने का प्रथम प्रयास था। 1938 में जवाहर लाल नेहरू ने संविधान सभा बनाने की मांग की थी।

- ❖ 1946 की कैबिनेट मिशन योजना, जो कि एक ब्रिटिश प्रस्ताव था, का उद्देश्य भारत की एकता को बनाए रखते हुए उसे सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण सुनिश्चित करना था। यह इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि इसने पाकिस्तान की मांग को खारिज कर भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा के गठन की नींव रखी।
- ❖ कैबिनेट मिशन में तीन सदस्यों में भारत के राज्य सचिव पेथिक लॉरेंस, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष स्टैफोर्ड क्रिप्स और एडमिरल्टी के प्रथम लॉर्ड ए. वी. अलेक्जेंडर शामिल थे। 16 मई 1946 को भारतीय राजनीतिक नेताओं के साथ व्यापक विचार-विमर्श के बाद कैबिनेट मिशन ने अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ एक संविधान सभा का गठन किए जाने का प्रस्ताव रखा, जिसके अनुसार प्रांतीय विधानमंडल से आनुपातिक प्रतिनिधित्व का उपयोग करके संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव करने की व्यवस्था की गई।
- ❖ भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा की मांग उपनिवेशवाद विरोधी स्वतंत्रता आंदोलन का मुख्य आधार थी। विधानसभा का निर्माण 1946 में ब्रिटिश कैबिनेट मिशन योजना द्वारा किया गया, जिसमें विधानसभा के कामकाज और संरचना पर प्रावधान भी शामिल थे।
- ❖ 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। यह बैठक संविधान के प्रारूप को तैयार करने के लिए हुई।
- ❖ 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने औपचारिक रूप से भारत के संविधान को तैयार करने का कार्य आरंभ किया। जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। प्रस्ताव का उद्देश्य भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करना और इसके भविष्य को नियंत्रित करने के लिए एक संविधान बनाना था। संकल्प ने संविधान सभा के काम का मार्गदर्शन करने के लिए सामान्य सिद्धांत स्थापित किए। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने प्रस्ताव को अपनाया।
- ❖ संविधान सभा में हिंदुओं के साथ ही अन्य प्रमुख धार्मिक समुदायों के सदस्यों को भी शामिल किया गया। इनमें ईसाई, पारसी, सिख और मुस्लिम शामिल थे, जिनका प्रतिनिधित्व फ्रैंक एंथोनी, मीनू मसानी, जी. गुरमुख सिंह और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया।
- ❖ संविधान सभा में केवल 15 सदस्य महिलाएं क्रमशः अम्मू स्वामीनाथन, एनी मैककारेन, बेगम ऐजाज़ रसूल, दक्षिणायनी वेलायुधन, दुर्गाबाई देशमुख, हंसा जीवराज मेहता, कमला चौधरी, लीला राय, मालती चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, राजकुमारी अमृत कौर, रेणुका रे, सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी और विजयलक्ष्मी पंडित शामिल थीं।
- ❖ संविधान सभा में दलित सदस्यों में डा. बी. आर. अम्बेडकर, एस. नागप्पा और दक्षिणायनी वेलायुधन थीं।
- ❖ संविधान सभा के सदस्य वयस्क मताधिकार के आधार पर अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हुए, जिनका चुनाव जुलाई 1946 में सम्पन्न हुआ। भारत के विभाजन के बाद कुल सदस्यों (389) में से भारत में 299 ही रह गए, जिनमें 229 चुने हुए थे, वहीं 70 मनोनीत थे। इनमें कुल महिला सदस्यों की संख्या 15, अनुसूचित जाति के 26, अनुसूचित जनजाति के 33 सदस्य थे। बंटवारे के बाद संविधान सभा में 12 महिलाएं रह गई।
- ❖ संविधान सभा में 12 ब्रिटिश भारतीय प्रांतों से 229 सदस्यों को शामिल किया गया, जिसमें रियासतों का प्रतिनिधित्व 70 व्यक्तियों ने किया।
- ❖ संविधान सभा में के. टी. शाह, हिंदू महासभा के अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठाकुर दास भार्गव, के. एम. मुंशी, मीनू मसानी जैसे उदारवादी नेता भी शामिल थे।
- ❖ संविधान सभा के पहले सत्र के बाद 27 फरवरी 1947 से 30 अगस्त 1947 के मध्य संविधान के विभिन्न पहलुओं की जांच और रिपोर्ट करने के लिए कई समितियों का गठन किया गया। इनमें मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और

जनजातीय और पृथक क्षेत्रों पर सलाहकार समिति (मौलिक अधिकारों पर उप-समिति और अल्पसंख्यक अधिकारों पर उप-समिति शामिल), संघ शक्तियां समिति, संघ संविधान समिति और प्रांतीय संविधान समिति थीं। इन समितियों ने अप्रैल और अगस्त 1947 के बीच संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट सौंपी। समितियों ने जब अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की तो संविधान सभा ने सिफारिशों में उल्लिखित सामान्य सिद्धांतों पर चर्चा की। यह विचार-विमर्श 30 अगस्त 1947 को समाप्त हुआ।

❖ 28 अप्रैल 1947 को हुई संविधान सभा की बैठक में सभी रियासतें शामिल नहीं हुईं। लेकिन बाद में सभी रियासतें इसमें शामिल हो गईं, सिर्फ उन रियासतों को छोड़कर जिन्होंने पाकिस्तान के साथ विलय करने का फैसला किया। इसके बाद सभी रियासतों ने संविधान को तैयार करने में सक्रिय रूप से भाग लिया।

❖ 3 जून 1947 को देश के विभाजन संबंधी माउंट बेटन प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया, जिसके बाद अधिकांश रियासतों के प्रतिनिधियों तथा भारतीय अधिराज्य (भारतीय डोमिनियन) के मुस्लिम लीग के सदस्यों ने संविधान सभा में अपनी सीट ग्रहण कर ली। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम-1947 के अंतर्गत विधिवत दो स्वतंत्र अधिराज्य भारत एवं पाकिस्तान की स्थापना हुई। इसके बाद भारतीय संविधान सभा पूर्णतया संप्रभु निकाय बन गई जो ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के लिए बनाए गए किसी भी कानून में परिवर्तन कर सकती थी। इस अधिनियम ने संविधान सभा को दो विभिन्न कार्य सौंपें प्रथम स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का निर्माण, द्वितीय देश के लिए सामान्य कानूनों का अधिनियमन। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 तक यह दोहरी भूमिका निभाई। इसके कारण संविधान सभा की सदस्य संख्या 389 से घटकर 299 रह गई क्योंकि पाकिस्तान में जाने वाले क्षेत्र से निर्वाचित मुस्लिम लीग के सदस्यों ने भारतीय संविधान सभा का त्याग कर दिया। इसी तरह देशी रियासतों के प्रतिनिधियों की संख्या 93 से घटकर 70 तथा भारतीय प्रांतों के प्रतिनिधियों की संख्या 296 से घटकर 229 रह गई। संविधान सभा ने 26 जनवरी 1950 से प्रथम अंतरिम संसद की भांति कार्य किया जो कि मई-1952 तक नई निर्वाचित संसद के गठन तक चला। 17 नवंबर 1947 को संविधान सभा की अंतरिम संसद के तौर पर पहली बैठक हुई जिसमें जी. वी. मावलंकर को प्रथम स्पीकर के रूप में चयनित किया गया। संविधान सभा की अंतरिम संसद के रूप में जितनी भी बैठक हुई, उनकी अध्यक्षता जी. वी. मावलंकर ने की।

❖ संविधान सभा के पांचवें सत्र के दौरान 14 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन हो गया।

❖ 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन हुआ। प्रारूप समिति की अध्यक्षता डा. बी. आर. आंबेडकर ने की, जबकि सदस्य रूप में एन. गोपालस्वामी अयंगर, मुहम्मद सादुल्लाह, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, के. एम. मुंशी, स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा देने के बाद बी. एल. मित्तर के स्थान पर एन. माधव. राव, डा. डी. पी. खेतान (1948 में उनके निधन के बाद) टी.टी. कृष्णमाचारी शामिल थे।

❖ 01 फरवरी 1947 से 31 अक्टूबर 1947 के मध्य विभिन्न समितियों की रिपोर्टों और संविधान सभा में हुई चर्चाओं के आधार पर, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी. एन. राव ने संविधान का एक प्रारूप तैयार किया। संविधान का प्रारूप बनाने का कार्य अक्टूबर 1947 तक पूरा हो गया और फिर प्रारूप समिति को सौंप दिया गया।

❖ 10 दिसम्बर 1946 में डा. राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में गठित प्रक्रिया नियमों की समिति में जगजीवन राम, शरत चंद्र बोस, अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर, बख्शी टेक चंद, रफी अहमद किदवई, जी. दुर्गाबाई, एन. गोपालस्वामी अयंगर, पुरूषोत्तम दास टंडन, के. एम. मुंशी, बी. पट्टाभि सीतारमैया, फ्रैंक एंथोनी, गोपीनाथ बोरदोलोई सदस्य के रूप में शामिल थे।

❖ मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों, जनजातीय और पृथक क्षेत्रों पर बनाई गई सलाहकार समिति के अध्यक्ष अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर थे, जिसमें डा. बी. आर. आंबेडकर, गोविंद बल्लभ पंत, के. बी. शिव राव, बख्शी टेक चंद, दक्षिणायनी वेलायुधन, एच. सी. मुखर्जी, हसरत मोहानी, जगजीवन राम, जयरामदास दौलतराम, जवाहरलाल नेहरू, एम. अनंतशयनम अयंगर, एम. आर. मसानी, महावीर त्यागी, सुचेता कृपलानी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वी. आई. मुनीस्वामी पिल्लई, स्टेनली हेनरी प्रेटर, जे. जे. एम. निकोल्स-राय, आर. के. सिधवा, उज्ज्वल सिंह, शंकरराव देव, बलदेव सिंह, खान अब्दुल गफ्फार खान, पी. आर. ठाकुर शामिल थे।

❖ जे. बी. कृपलानी की अध्यक्षता में संविधान के मौलिक

अधिकार प्रावधानों का प्रारूप तैयार करने के लिए बनाई गई उप-समिति में राजकुमारी अमृत कौर, एम. आर. मसानी, के. टी. शाह, अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर, के. एम. मुंशी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, बी. आर. आंबेडकर, जयरामदास दौलतराम, हंसा जीवराज मेहता, शंकरराव देव शामिल थे।

- एच. सी. मुखर्जी की अध्यक्षता में अल्पसंख्यकों पर गठित उप-समिति में जगजीवन राम, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डा. बी. आर. आंबेडकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बख्शी टेक चंद, राजकुमारी अमृत कौर, जयरामदास दौलतराम, के. एम. मुंशी, गोविंद बल्लभ पंत, स्टेनली हेनरी प्रेटर, तजामुल हुसैन, आर. सिंह, शंकरराव देव, पी. आर. ठाकुर सदस्य रूप में शामिल थे।
- उत्तर-पूर्व सीमांत (असम) जनजातीय और पृथक क्षेत्रों पर बनाई गई दो सदस्यीय उप-समिति में जे. जे. एम निकोल्स-रॉय, गोपीनाथ बोरदोलोई शामिल थे।
- सरदार वल्लभभाई पटेल की अध्यक्षता में प्रांतीय संविधान समिति में सदस्य रूप में पी. सुब्बारायण, बी. जी. खेर, कैलाश नाथ काटजू, जयरामदास दौलतराम, रफी अहमद किदवई, हंसा जीवराज मेहता, राजकुमारी अमृत कौर, एच. सी. मुखर्जी, सी. एम. पूनाचा, बी. पट्टाभि सीतारमैया, किरण शंकर राय, रोहिणी कुमार चौधरी, दीवान चमन लाल, उज्ज्वल सिंह, शंकरराव देव, सत्यनारायण सिन्हा शामिल थे।
- प्रांतीय संविधान समिति द्वारा नियुक्त तीन सदस्यीय उप-समिति में बी. जी. खेर, कैलाश नाथ काटजू, पी. सुब्बारायण शामिल थे। इस समिति को राज्यपाल के चुनाव के लिए एक विशेष निर्वाचक मंडल के मामले और प्रांतीय विधानमंडलों के सदस्यों के अधिकारों और विशेषाधिकारों पर चर्चा के लिए गठित किया गया।
- प्रांतीय संविधान समिति द्वारा नियुक्त तीन सदस्यीय उप-समिति-2 में, बी. जी. खेर, पी. सुब्बारायण, कैलाश नाथ काटजू, बी. पट्टाभि सीतारमैया शामिल थे। इस समिति को प्रांतों की विधायिका में दूसरे सदन के प्रश्न पर चर्चा करने के लिए गठित किया गया।
- बी. पट्टाभि सीतारमैया की अध्यक्षता में गठित समिति को स्वतंत्र भारत में मुख्य आयुक्तों के प्रांतों, जिन्हें बाद में केंद्र शासित प्रदेश नाम दिया गया, का प्रशासन कैसे किया जाएगा? पर विचार करना था। इसमें सदस्य के रूप में एन. गोपालस्वामी अयंगर, देशबंधु गुप्ता, के. संथानम, सी. एम. पूनाचा, हुसैन इमाम, मुकुट बिहारी लाल भार्गव शामिल थे।
- 27 अक्टूबर 1947 को प्रारूप समिति ने अन्य नोट्स, रिपोर्टों और ज्ञापनों के साथ, संवैधानिक सलाहकार द्वारा तैयार किए गए प्रारूप संविधान की जांच शुरू की। परिवर्तन करने के बाद, समिति ने अपना अंतिम मसौदा संविधान 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा के अध्यक्ष को सौंप दिया।
- 21 फरवरी 1948 को संविधान का प्रारूप संविधान सभा के अध्यक्ष को सौंपे जाने के बाद, इसे प्रकाशित किया गया और जनता के बीच प्रसारित किया गया। कई टिप्पणियां, आलोचनाएं और सुझाव प्राप्त हुए, जिनकी जांच एक विशेष समिति द्वारा की गई, जिसमें संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, संघ शक्तियां समिति और स्वयं प्रारूप समिति के सदस्य शामिल थे। प्रारूप समिति ने इन जानकारियों को ध्यान में रखा और 23, 24, 27 मार्च और 18 अक्टूबर 1948 को विचार-विमर्श किया। 26 अक्टूबर 1948 को समिति ने प्रारूप संविधान संस्करण को पुनः मुद्रित करके प्रस्तुत किया। जिन खंडों में संशोधन करना निश्चित हुआ था, उनमें संशोधनों का एक सेट जोड़ा गया।
- संविधान के प्रारूप को 4 नवंबर 1948 के दिन प्रारूप समिति के अध्यक्ष डा. बी. आर. आंबेडकर द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया।
- 15 नवंबर 1948 से संविधान के प्रारूप के दूसरे वाचन या पठन में संविधान सभा ने प्रारूप के प्रत्येक अनुच्छेद पर खंडवार चर्चा प्रारम्भ की। संविधान सभा की सबसे महत्वपूर्ण और व्यापक बहसें इसी अवधि के दौरान हुईं, जो 17 अक्टूबर 1949 तक चलीं। इस चरण के दौरान विधानसभा सदस्यों ने विशिष्ट लेखों या खंडों को संशोधित करने या समाप्त करने की मांग करते हुए संविधान के प्रारूप में संशोधन का प्रस्ताव रखा। लेकिन अधिकांश संशोधन अंततः खारिज कर दिए गए।
- संविधान सभा में अनुच्छेद-306ए (धारा- 370) को 27 मई 1949 को पारित किया गया था। यह प्रारूप संविधान-1948 का हिस्सा नहीं था।
- संविधान के प्रारूप पर बहस समाप्त होने के बाद, प्रारूप समिति संविधान सभा में लिए गए निर्णयों के अनुसार इसमें संशोधित करने के लिए आगे बढ़ी। इसमें लेखों को पुनः

क्रमांकित करना, भाषा में मामूली बदलाव करना और खंड जोड़ना या हटाना जैसे कार्य शामिल थे। संविधान का संशोधित प्रारूप 3 नवंबर 1949 को संविधान सभा के अध्यक्ष को प्रस्तुत किया गया। बाद में इसे 14 नवंबर 1949 को संविधान सभा में पेश किया गया।

- 14 नवंबर 1949 से संविधान के प्रारूपण का तीसरा वाचन प्रारम्भ हुआ। तीसरे वाचन के दौरान केवल कुछ महत्वपूर्ण बहसें हुईं और अधिकांश भाषणों में समग्र रूप से संविधान पर सामान्य टिप्पणियां शामिल थीं।
- 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पिछले चरण में डा. आंबेडकर द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव के पक्ष में मतदान के साथ संविधान का तीसरा वाचन समाप्त हो गया।
- 9 दिसंबर 1946 को भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में हुई, जिसे अब संसद भवन का सेंट्रल हाल कहा जाता है, जहां 207 सदस्य उपस्थित थे। उन सभी ने रजिस्टर पर हस्ताक्षर कर अपना परिचय पत्र प्रस्तुत किया।
- संविधान के अंतिम संस्करण पर 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए गए और यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ।
- संविधान सभा के सदस्यों के हस्ताक्षर आठवीं अनुसूची के बाद उसी पृष्ठ से आरम्भ होकर 11 पृष्ठों में फैले हुए हैं। पहला हस्ताक्षर जवाहर लाल नेहरु का है और अंतिम हस्ताक्षर सुन्दर लाल का है।
- सभी सदस्यों के हस्ताक्षर होने के बाद संविधान सभा के अध्यक्ष डा. राजेंद्र प्रसाद ने हस्ताक्षर के लिए पर्याप्त जगह न मिलने पर अनुच्छेद-8 में अंकित भाषा एवं जवाहर लाल नेहरू के हस्ताक्षर के बीच में सीमित जगह पर तिरछे हस्ताक्षर किए। डा. राजेंद्र प्रसाद ने यह हस्ताक्षर देवनागरी एवं रोमन लिपि में किए।
- अंगीकृत किए जाने के समय, संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। इसमें लगभग 1,45,000 शब्द थे, जिससे यह अब तक का अंगीकृत किया जाने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय संविधान बन गया।
- भारतीय संविधान के निर्माण का कार्य 2 वर्ष और 11 माह की अवधि में पूरा किया गया। इस अवधि के दौरान संविधान सभा के 11 सत्र हुए और कुल 167 दिनों तक बैठकें हुईं।
- मूल संविधान संसद के पुस्तकालय में नाइट्रोजन गैस से भरी पेटी में सुरक्षित रखा हुआ है।
- डा. भीम राव आंबेडकर को भारतीय संविधान का मुख्य रचनाकार माना जाता है और यह विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है।
- भारत का संविधान न तो मुद्रित है और न ही टंकित है। यह हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में हस्तलिखित और सुलेखित है। इसे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अंग्रेजी में और वसंत कृष्ण वैद्य ने हिंदी में हस्तलिखित किया था। उन्होंने इसके लिए कोई मानदेय नहीं लिया।
- मूल संविधान को अंग्रेजी में हस्तलिपिबद्ध करने में छह माह का समय लगा।
- संविधान का हिंदी में अनुवाद करने वाली समिति के अध्यक्ष घनश्याम सिंह गुप्त थे। वह चौदह वर्ष तक सेन्ट्रल प्रोविंस एवं बरार विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में रघुनाथ विष्णु धुलेकर ने आग्रह किया कि संविधान सभा की कार्यवाही हिंदी में होनी चाहिए। इसके बाद 1947 में प्रथम अनुवाद समिति बनी। इसमें घनश्याम सिंह गुप्त को शामिल किया गया। इस समिति में श्री गुप्त के अलावा पंडित कमलापति त्रिपाठी, डा. रघुवीर, हरिभाऊ उपाध्याय, डा. नागेंद्र और बालकृष्ण शामिल थे।
- संविधान का प्रकाशन देहरादून स्थित सर्वे आफ इंडिया ने किया था। तत्कालीन समय में सर्वे आफ इंडिया का मुख्यालय देहरादून में था। नॉदर्न प्रिंटिंग ग्रुप में पहली बार इसकी एक हजार प्रतियां फोटोलिथोग्राफिक तकनीक से प्रकाशित की गई।
- भारत के संविधान के प्रत्येक पृष्ठ को शांति निकेतन के कलाकारों द्वारा सजाया गया, जिनमें ब्यौहार राममनोहर सिन्हा और नंदलाल बोस शामिल थे।
- संविधान की हस्तलिखित प्रति में भारत के पांच हजार वर्ष से अधिक की सुदीर्घ और अनवरत रूप से प्रभावित सांस्कृतिक एवं राष्ट्रीय विरासत को 22 चित्रों द्वारा चित्रित किया गया है।
- संविधान में कला कार्य में जयपुर निवासी कृपाल सिंह शेखावत ने योगदान दिया। मूल संविधान के कई चित्र उन्होंने ही बनाए।
- भारतीय संविधान में जनवरी 2025 तक 106 बार संशोधन किए जा चुके हैं। ■

(राष्ट्रीय छात्रशक्ति टीम)

शैक्षिक सुधार एवं विकसित भारत में युवाओं की भूमिका सुनिश्चित करेगी अभाविप

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप)की दो-दिवसीय केंद्रीय कार्यसमिति बैठक राजस्थान के जोधपुर स्थित रघुवंशपुरम आश्रम में संपन्न हुई। बैठक में शैक्षिक, सामाजिक, संगठनात्मक, पर्यावरणीय, सांस्कृतिक, खेल और सेवा जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर गहन चर्चा के बाद आगामी कार्यों की योजना तैयार की गई। बैठक में देश के सभी प्रांतों से 102 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।
गत 18 एवं 19 जनवरी को संपन्न हुई। बैठक में वर्तमान शैक्षिक, राष्ट्रीय एवं सामाजिक परिस्थितियों पर चर्चा हुई। देश में शैक्षिक संस्थानों में सुधार, परिसर चलो अभियान, शुल्क वृद्धि पर रोकथाम, विभिन्न आयाम-गतिविधियों एवं अभियानों के माध्यम से विद्यार्थियों की कला और कौशल में वृद्धि आदि विषयों पर मंथन करके विद्यार्थी आंदोलन की आगामी दिशा निर्धारित की गई। इस वर्ष के विशेष उपलक्ष्य जैसे-भारतीय गणतंत्र के 75 वर्ष, स्वामी दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती, रानी दुर्गावती की पंचशती पूर्ति और संघ शताब्दी वर्ष जैसे विशेष अभियानों की कार्य योजना भी तैयार हुई। साथ ही बैठक में सदस्यता अभियान और महाविद्यालय इकाइयों की प्रगति की समीक्षा भी की गई।
अभाविप के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजशरण शाही ने बताया कि अभाविप के कार्यकर्ता परिसरों में विद्यार्थियों की सक्रियता सुनिश्चित करने के लिए देश के विभिन्न शैक्षिक संस्थानों में उनकी रुचि के अनुरूप कार्यक्रम आयोजित कर विद्यार्थियों को परिसरों में एक आनंदमयी व सार्थक छात्र जीवन देने का कार्य करेंगे। अभाविप विश्व का सबसे बड़ा विद्यार्थी संगठन है। ऐसे में न केवल देश, अपितु विश्व के युवाओं को दिशा दिखाने का काम अभाविप के कार्यकर्ता बहुआयामी योजनाओं के साथ परिसरों में विद्यार्थियों को नेतृत्व देकर करते हुए विकसित भारत में युवाओं की भूमिका सुनिश्चित करेंगे।

बैठक में आगामी कार्यक्रम, जिनमें फरवरी माह में दिल्ली में आयोजित होने वाली छात्रा, जनजातीय छात्र एवं पूर्वोत्तर के विद्यार्थियों की संसद, मई माह में द्वारका में होने वाली विचार बैठक के स्वरूप एवं प्रारूप पर भी विचार-विमर्श किया गया। अभाविप के विभिन्न आयामों एवं गतिविधियों के माध्यम से देश के विद्यार्थियों द्वारा महाकुंभ में जारी प्रशिक्षुता (इंटर्नशिप) कार्यक्रम एवं सेवा कार्यों की समीक्षा भी बैठक में की गई ।
अभाविप के राष्ट्रीय महामंत्री वीरेंद्र सोलंकी के अनुसार बैठक में छात्र आंदोलन की दिशा और दशा पर चर्चा के साथ-साथ युवाओं को राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करने के उपायों पर भी विचार किया गया। साथ ही अभाविप के आगामी कार्यक्रमों के स्वरूप और प्रारूप पर विस्तृत चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि 2024-25 में 57,82,877 विद्यार्थियों ने अभाविप की सदस्यता ली, जो विगत वर्ष की तुलना में लगभग 8 लाख अधिक है । ■

(राष्ट्रीय छात्रशक्ति टीम)

सुधी पाठकों!

शिक्षा क्षेत्र की प्रतिनिधि पत्रिका के रूप में 'राष्ट्रीय छात्रशक्ति' जनवरी-फरवरी 2025 अंक आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। यह अंक महत्वूर्ण लेख एवं विभिन्न समसामयिक घटनाक्रमों व खबरों को समाहित किए हुए हैं। आशा है, यह अंक आपके आवश्यकताओं के अनुरूप उपादेय साबित होगा। कृपया 'राष्ट्रीय छात्रशक्ति' से संबंधित अपने सुझाव व विचार हमें नीचे दिए गए संपादकीय कार्यालय के पते अथवा ई-मेल पर अवश्य भेजें : -

'राष्ट्रीय छात्रशक्ति'
26, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग,
नई दिल्ली-110002
फोन : 011-23216298
www.chhatrashakti.in

rashtriyachhatrashakti.abvp@gmail.com
www.facebook.com/Rchhatrashakti
www.twitter.com/Rchhatrashakti
www.instagram.com/ Rchhatrashakti

गोवा विश्वविद्यालय छात्र परिषद चुनाव में अभाविप को मिली शानदार जीत

■ अजीत कुमार सिंह

गोवा विश्वविद्यालय छात्र परिषद के चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) ने सभी नौ पदों पर शानदार जीत हासिल की है। विश्वविद्यालय छात्र परिषद के अध्यक्ष पद पर विनय राउत, सचिव पद पर अंशुल सिनारी, छात्र प्रतिनिधि के पद पर खुशी देसाई एवं सदस्य पद पर ओम सिंह, मल्लिकेश गावसदेसाई, सियेना बन्याटो, सुधांशु नायक, साईंनिश फलदेसाई एवं श्रीरंग वझे निर्वाचित हुए।

सभी पदों पर मिली विजय के बाद अभाविप ने कहा कि अभाविप कार्यकर्ता देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों के छात्रसंघ एवं छात्र परिषद के चुनावों में निरंतर विजयी हो रहे हैं। यह देशभर के समस्त विद्यार्थियों में अभाविप की सक्रियता, लोकप्रियता एवं स्वीकार्यता को दर्शाता है। गोवा विश्वविद्यालय में अभाविप की जीत कार्यकर्ताओं की कर्मठता, सक्रियता एवं संगठन कौशल का प्रत्यक्ष उदाहरण है। प्रवेश, परिसर, पाठ्यक्रम, परीक्षा एवं परिणाम जैसी सभी मूलभूत आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अभाविप कार्यकर्ताओं ने विद्यार्थियों की आवाज को गोवा विश्वविद्यालय परिसर में प्रखरता से रखा। परिणामस्वरूप सभी पदों पर विद्यार्थियों ने अभाविप कार्यकर्ताओं पर अपना भरोसा व्यक्त किया। अभाविप के अनुसार यह अभूतपूर्व जीत विद्यार्थियों में अभाविप के प्रति निरंतर बढ़ते विश्वास का परिचायक है। गोवा विश्वविद्यालय में मिली शानदार जीत निश्चित ही अभाविप को वर्ष भर छात्रहित में काम करते हुए शैक्षिक परिसर को बेहतर बनाने और विद्यार्थियों को कुशल नेतृत्व के लिए प्रेरित करेगी।

मंगलौर विश्वविद्यालय में लगातार 11वीं बार अभाविप ने लहराया जीत का परचम

कर्नाटक स्थित मंगलौर विश्वविद्यालय छात्र परिषद चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) ने लगातार 11वीं बार जीत का परचम लहराया। मंगलौर विश्वविद्यालय के कोनाजे परिसर छात्र परिषद चुनाव में अभाविप ने सभी पदों पर जीत हासिल की है। यहां अध्यक्ष पद पर मदन कुमार, उपाध्यक्ष पद पर पवन, सचिव पद पर कार्तिक, संयुक्त सचिव पद पर महेश, सांस्कृतिक सचिव पद पर रामप्रसाद सांस्कृतिक एवं संयुक्त सचिव पद पर मीराज को विजय मिली। चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद अभाविप ने कहा कि यह ऐतिहासिक जीत ज्ञान, शील, एकता को बढ़ावा देने की हमारी प्रतिबद्धता में छात्रों के विश्वास को दर्शाती है। अभाविप कार्यकर्ताओं को मिली यह जीत वीर सावरकर और स्वामी विवेकानंद के आदर्शों का प्रमाण है, जो हमें राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के लिए अथक प्रयास करने के लिए प्रेरित करती है।

डूसू कार्यकारी परिषद चुनाव में अभाविप को बहुमत

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ (डूसू) कार्यकारी परिषद चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) ने उल्लेखनीय विजय हासिल की है। कार्यकारी परिषद चुनाव में अभाविप ने 11 में से 6 सीटों पर जीत हासिल कर स्पष्ट बहुमत प्राप्त कर लिया। कार्यकारी परिषद के लिए चुनाव गत 27 दिसंबर को हुए थे। चुनाव में कुल 135 प्रतिनिधियों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जिसमें से 103 प्रतिनिधियों ने अभाविप समर्थित प्रत्याशियों पर अपनी पहली पसंद की मुहर लगाई। इससे पहले डूसू के केंद्रीय पैनल में भी अभाविप ने उपाध्यक्ष एवं सचिव पद पर बड़ी जीत हासिल की थी। कार्यकारी परिषद के चुनाव परिणाम गत 29 दिसंबर को घोषित किए गए, जिसमें अभाविप ने परिसर में अपनी सक्रियता एवं संगठन कौशल का परिचय दिया। जानकारी हो कि डूसू एवं महाविद्यालय छात्रसंघ के अध्यक्ष एवं केंद्रीय पार्षद ही कार्यकारी पार्षदों का चयन करते हैं।

कार्यकारी परिषद में मिली विजय के बाद छात्रों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए डूसू सचिव मित्रविंदा कर्णवाल ने कहा कि छात्रों के मुद्दों पर अभाविप हमेशा काम करते रही है। इसी का परिणाम है कि सेंट्रल काउंसिल के सदस्यों ने भी कार्यकारी परिषद चुनाव में अभाविप को बहुमत दिया। कार्यकारी परिषद के निर्वाचित सदस्य पदभार ग्रहण करते ही परिसर में छात्रों के मुद्दों पर कार्य करने के लिए सक्रिय हो जाएंगे। अभाविप दिल्ली के

प्रदेश मंत्री हर्ष अत्री ने कहा कि अभाविप छात्रों के मुद्दों पर सदैव सक्रिय है। डीयू के अभाविप पदाधिकारी छात्रों के विभिन्न मुद्दों पर पहले से ही काम आरम्भ कर चुके हैं। छात्रावास, मेट्रो पास, परिसर में बस की मुफ्त सेवा जैसे मुद्दों पर प्रशासन से सतत संवाद में बने हुए हैं। निश्चित ही अभाविप नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित कार्यकारी परिषद से डूसू को अधिक शक्ति मिलेगी। चुनाव में अभाविप को मिली विजय एवं बहुमत पर वह दिल्ली विश्वविद्यालय के समस्त विद्यार्थियों को आभार व्यक्त करते हैं। ■

शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं पर अभाविप ने दिए ज्ञापन

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षा क्षेत्र में छात्रों से जुडी विभिन्न समस्याओं एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के सफ़ल क्रियान्वयन के संदर्भ में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के महत्व पर जोर देते हुए इसके प्रभावी क्रियान्वयन और भारत के सांस्कृतिक मूल्यों से प्रेरित शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता पर बल दिया गया। ज्ञापन के माध्यम से अभाविप ने केंद्रीय और राज्य विश्वविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन की समीक्षा और निरीक्षण की मांग करते हुए शैक्षणिक संस्थानों को बहु-विषयक केंद्रों में उन्नत करने और शैक्षणिक सामग्री का अनुवाद भारतीय भाषाओं में विशेषज्ञ समितियों के माध्यम से कराने का सुझाव दिया है। इसके साथ ही अभाविप ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास जैसे ई-पुस्तकालय और उपकरण केंद्रों को प्राथमिकता देने और शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की तत्काल भर्ती, सीयूईटी काउंसलिंग प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने, पूर्वोत्तर क्षेत्र में परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाने, छात्र प्रतिनिधित्व के साथ प्लेसमेंट सेल को मजबूत करने और प्रशिक्षण और सामाजिक परियोजनाओं में लगे छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का सुझाव दिया। उद्यमिता को बढ़ावा देने, इनक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने, शैक्षणिक संस्थानों की भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को रोकने और 'नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन एक्ट' को लागू करने की सिफारिश करते हुए अभाविप ने कहा कि इससे छात्र संघ के सीधे चुनाव सुनिश्चित किए जा सकेंगे और संस्थानों के निर्णय लेने में उनकी भागीदारी सुनिश्चित होगी। ज्ञापन में शिक्षा के

व्यवसायीकरण को लेकर भी चिंता व्यक्त करते हुए निजी संस्थानों में हो रहे भ्रष्टाचार और दुराचार को रोकने के लिए एक केंद्रीय कानून बनाने की मांग की गई है।

ज्ञापन में एनएएसी मान्यता के आधार पर दिए गए स्वायत्तता को वापस लेने, कोचिंग केंद्रों को सुरक्षित और कानून के अनुरूप उनका नियमन, अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में बढ़ती सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) के अनुसार छात्रवृत्तियों और फेलोशिप की संख्या बढ़ाने, यूजीसी पोस्ट-डॉक्टोरल फेलोशिप अधिसूचनाओं को समय पर जारी करने, अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेने वाले शोधार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में पीएचडी शोधार्थियों के लिए गैर-नेट फेलोशिप की राशि को संशोधित करने की मांग भी उठाई गई। अभाविप ने विद्यालयीन शिक्षा के लिए दूरदराज के क्षेत्रों में डिजिटल बुनियादी ढांचे को बढ़ाने, शिक्षकों को डिजिटल संस्कृति अपनाने के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम प्रदान करने, ओपन स्कूलिंग सुविधाओं में सुधार और खेल सहित पाठ्येतर विकास के लिए 'टैलेंट बियॉन्ड एकेडमिक्स' फंड बनाने का सुझाव दिया है। साथ ही देश भर के सभी विश्वविद्यालयों में खाली पड़े प्राध्यापकों के पदों एवं विश्वविद्यालयों में खाली पड़े कुलपति के पदों की स्थाई नियुक्तियां करने के साथ विश्वविद्यालयों की अधोसंरचना को ठीक करने की मांग भी की है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष से मिला अभाविप प्रतिनिधिमंडल

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के अध्यक्ष प्रो. एम. जगदीश कुमार को एक ज्ञापन देकर छात्रवृत्ति, फेलोशिप, प्रवेश परीक्षाओं, शिक्षा के व्यापारीकरण, छात्र संघ चुनाव और विश्वविद्यालय प्रशासन में सुधार से जुडी समस्याओं का समाधान करने की मांग की गई है। अभाविप प्रतिनिधिमंडल ने गत 16 दिसंबर को आयोग के अध्यक्ष को दिए गए ज्ञापन में छात्रों को दी जाने वाली नॉन-नेट फेलोशिप की राशि को बढ़ाने और इसे राज्य विश्वविद्यालयों तक विस्तारित करने के लिए कहा है। साथ ही यूजीसी फेलोशिप पोर्टल पर प्रमाणपत्र अपलोड करने की समय सीमा बढ़ाने और उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात के अनुरूप छात्रवृत्तियों की संख्या में वृद्धि की भी मांग की है ।

अभाविप ने अपने ज्ञापन में सीयूईटी को सभी विश्वविद्यालयों के लिए केंद्रीकृत प्रवेश प्रक्रिया के रूप में लागू करने और एक समान आवेदन शुल्क सुनिश्चित करने, स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी कार्यक्रमों के शैक्षणिक कैलेंडर में नियमितता, प्रवेश परीक्षाओं के बढ़ते आवेदन शुल्क को नियंत्रित करने, निजी विश्वविद्यालयों में शिक्षा के व्यापारीकरण, भ्रष्टाचार और एकाधिकार को रोकने के लिए केंद्रीय कानून को बनाने, केंद्रीय विश्वविद्यालयों द्वारा हर वर्ष ट्यूशन फीस बढ़ाने पर रोक लगाने और "ग्रेडेड स्वायत्तता" के नाम पर दी जा रही पूर्ण वित्तीय स्वतंत्रता को वापस लेने की मांग भी की है। इसके साथ ही अभाविप ने शैक्षणिक संस्थानों में छात्र संघ के प्रत्यक्ष चुनाव सुनिश्चित करने की अपील करते हुए एक राष्ट्रीय छात्र संघ अधिनियम लागू करने, विश्वविद्यालयों के शैक्षणिक और प्रशासनिक परिषदों में छात्रों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने और परिसरों में हिंसा, उत्पीड़न और नशीले पदार्थों के उपयोग पर रोक लगाने के लिए ठोस कदम उठाने का आग्रह किया है। ज्ञापन में विश्वविद्यालय परिसरों में खाली पड़े हुए कुलपति पद और पूर्णकालिक कुलसचिव की शीघ्र नियुक्त करने के लिए कहा गया है, ताकि संस्थानों की कार्यक्षमता प्रभावित न हो। अभाविप के राष्ट्रीय महामंत्री डा. वीरेंद्र सिंह सोलंकी के अनुसार आयोग ने सकारात्मक रुख दिखाते हुए अभाविप के सभी सुझावों को छात्रहित में बताया और त्वरित कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

तकनीकी शिक्षा की समस्याएं दूर करे सरकार

अभाविप ने तकनीकी शिक्षा से जुड़े विद्यार्थियों की समस्याओं और शिक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) के अध्यक्ष प्रो. टी. जी. सीताराम को एक ज्ञापन देकर प्रमुख मुद्दों के समाधान के लिए शीघ्र ठोस कदम उठाने की मांग की है। देशभर के छात्रों के साथ हुई गहन चर्चा और प्राप्त जानकारियों के आधार पर गत 17 दिसंबर को दिए गए ज्ञापन में छात्रों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता पर गंभीर चिंता जताई गई। गेट एवं एम. टेक उत्तीर्ण विद्यार्थियों को 2015 से बारह हजार रुपए प्रति माह का छात्रवृत्ति दी जा रही है, उसे बढ़ाने के साथ ही प्रयोगशालाओं को आधुनिक बनाने, गुणवत्ता की अनदेखी करने वाले संस्थानों पर सख्त कार्रवाई करके उन्हें काली सूची में डालने, उद्योग-अकादमिक सहयोग के विस्तार पर बल, उद्योगों के साथ मिलकर विशेष प्रशिक्षण

कार्यक्रमों का संचालन, छात्रों को व्यावहारिक अनुभव देने के लिए द्विपक्षीय प्रशिक्षण पद्धति लागू करने, ग्रामीण क्षेत्रों के महाविद्यालयों में कृषि अभियांत्रिकी, ग्रामीण विकास और अन्य व्यावहारिक पाठ्यक्रम आरम्भ करने, तकनीकी शिक्षा को क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराने, भारतीय ज्ञान प्रणाली को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने सहित कई अन्य मांगों को ज्ञापन के माध्यम से उठाया गया है।

खेल क्षेत्र में हो आवश्यक बुनियादी सुधार

खेल क्षेत्र में आवश्यक सुधार एवं सुझाव को लेकर अभाविप ने गत 18 दिसंबर को केंद्रीय युवा एवं खेल मंत्री मनसुख मांडविया को ज्ञापन सौंपा। यह ज्ञापन देश भर के खेल के छात्र एवं छात्राओं के साथ चर्चा, संवाद एवं खेल केंद्रों की जानकारी लेकर तैयार किया गया, जिसमें सुधार के लिए आवश्यक मांगें की गई हैं। अभाविप का मानना है कि किसी भी छात्र का समग्र विकास तभी संभव है, जब उसे हर समाज के हर क्षेत्र में समान रूप से भाग लेने का अवसर मिल सके। लेकिन वर्तमान समय में खेल क्षेत्र मूलभूत सुविधाओं की कमी से जूझ रहा है, जिससे खेल छात्रों का भविष्य खराब हो रहा है। अभाविप ने इस विषय पर ध्यान देते हुए अपने ज्ञापन में 'फिट इंडिया मूवमेंट' को व्यापक स्तर पर चलाने एवं इसे ग्राम स्तर तक ले जाने के लिए देश के जनपद में इसके केंद्र की स्थापना करने, देश के शिक्षण संस्थानों में खेल अधिसंरचना एवं प्रशिक्षण संबंधी आवश्यक उपकरणों के प्रबंधन को व्यवस्थित करने, देश के सभी पांच खेल विश्वविद्यालयों में खिलाड़ियों के उच्च प्रदर्शन के लिए उनके प्रशिक्षण एवं वहां की नियुक्तियां समय पर करने, खेल एवं शारीरिक शिक्षा विषय को बारहवीं तक अनिवार्य बनाने, सभी नियुक्तियों में खेल कोटा को अनिवार्य करने, खेल फेडरेशन के सुचारू संचालन की व्यवस्था सुनिश्चित करने, पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए सार्थक प्रयास करने, नेहरू युवा के केंद्र में नियुक्तियों तथा नियमित मॉनिटरिंग में आई अनियमितता के निराकरण के लिए आवश्यक कदम उठाने, नेहरू युवा केंद्र की विशेषज्ञता में वृद्धि के लिए इसे अन्य सरकारी एजेंसियों एवं सामाजिक संगठनों के साथ जोड़ने, युवाओं में बढ़ते मानसिक तनाव को कम करने के लिए एक तनावमुक्त स्वस्थ वातावरण बनाने के लिए सरकार द्वारा प्रयास करने तथा भारतीय खेल संघ के अंदर शारीरिक शिक्षा को जोड़कर खेल क्षेत्र के वरिष्ठ जनों को सम्मिलित करने की मांग की गई।

विभिन्न मुद्दों को लेकर जनजातीय कार्य मंत्री से मिला अभाविप प्रतिनिधिमंडल

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) प्रतिनिधिमंडल ने जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम से मुलाकात करके विभिन्न मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। गत 22 जनवरी को दिए गए ज्ञापन में अभाविप ने जनजातीय क्षेत्रों में विद्यालयीन शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिए शिक्षकों की संख्या में वृद्धि, भवन और खेल मैदान जैसी ठोस सुविधाओं पर ध्यान देने, जनजातीय क्षेत्रों में व्यवसायिक, तकनीकी और कृषि शिक्षण संस्थान खोलने की पहल, राष्ट्रीय प्रवासी एवं विदेशी छात्रवृत्ति योजना से जुड़े मुद्दों का समाधान करने की मांग की है। अभाविप ने सरकार से आग्रह किया कि ज्ञापन में दी गई मांगों पर शीघ्र कार्यवाही की जाए। अभाविप का कहना है कि सभी वर्गों के विद्यार्थियों के उत्थान के लिए केंद्र सरकार ठोस कदम उठाए, जिससे वह समाज की मुख्यधारा में आकर अपनी सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित कर सकें।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री से छात्र समस्याओं को दूर करने की मांग

केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डा. वीरेंद्र कुमार से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात करके उन्हें एक ज्ञापन दिया। गत 22 जनवरी को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री को दिए गए ज्ञापन में अभाविप ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के छात्रों के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप (एनएफओबीसी) छात्रवृत्ति को नियमित करने के साथ उसमें आ रही समस्याओं को दूर करने, दृष्टिबाधित छात्रों को सभी शिक्षण संस्थानों में ब्रेल सॉफ्टवेयर एवं किताबों की निःशुल्क उपलब्धता सुनिश्चित कराने, महत्वपूर्ण शिक्षण संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्ग, जनजातीय वर्ग एवं अनुसूचित जाति वर्ग की रिक्त पड़ी नियुक्तियों को शीघ्र भरने की मांग की है। अभाविप का कहना है कि देश में सामाजिक समरसता सुनिश्चित करने एवं हर वर्ग के उत्थान के लिए अभाविप प्रतिबद्ध है। ■

(राष्ट्रीय छात्रशक्ति टीम)

National Symposium on Landmark Judgements Concludes with Insightful Legal Discourse

The 8th National Symposium on Landmark Judgements, organised by Think India, concluded successfully at the Prime Ministers Museum and Library, Teen Murti Bhawan, New Delhi, on January 5, 2025. This prestigious event provided a platform for in-depth discussions on judicial decisions that have significantly shaped India's legal and socio-political landscape. Bringing together eminent legal experts, scholars, and law students, the symposium facilitated a dynamic exchange of ideas, enhancing the understanding of landmark cases and their implications.

Justice G.R. Swaminathan, Judge of the Madras High Court, delivered the opening address, emphasizing the crucial role of landmark judgements in upholding constitutional values and fostering progressive change. He also highlighted the necessity of decolonization in India's legal framework, setting the stage for a thought-provoking discourse. The first session focused on the Electoral Bonds case, featuring Shalini Kapoor, Manager (Legal) at the Association for Democratic Reforms, and Adv. Kanu Agrawal, Additional Advocate General for Jammu & Kashmir. Their discussion explored the impact of the case on political transparency and accountability, shedding light on the delicate balance between donor anonymity and the public's right to information.

The second session delved into the AMU case, where Prof. Dr. Faizan Mustafa, Vice-Chancellor of CNLU Patna and Vikramjit Banerjee, Senior Advocate and Additional Solicitor General of India, examined the historical and constitutional dimensions of minority rights in education. Their insights reinforced the enduring significance of the case in India's evolving socio-legal landscape. The third session provided a comprehensive analysis of the Property case, led by Senior Advocate Balbir Singh and Additional Advocate General for Chhattisgarh, Bishwajit Dubey. Their discussion underscored the importance of property rights

and their implications for urban governance and policymaking.

The final session addressed the Industrial Alcohol case, with Senior Advocates Dinesh Dwivedi and Nachiketa Joshi offering critical perspectives on its legal complexities and regulatory impact. Their discussion highlighted the case's relevance to trade, commerce and economic regulations in India. As the symposium drew to a close, Ashish Chauhan, National Organising Secretary of ABVP and Advocate Joydip Roy of the Supreme Court of India delivered the concluding remarks. They commended the organisers for bridging the gap between legal academia and practice while encouraging constructive discussions on contemporary legal issues.

With over 300 participants, including law students, scholars, legal practitioners, and policymakers, the symposium fostered interactive discussions that deepened legal understanding and inspired young professionals to engage meaningfully in the field. Think India extended its gratitude to Manupatra, the media partner, for amplifying the event's reach and ensuring that its pivotal discussions resonated within the legal community. The success of this symposium reaffirms Think India's commitment to fostering intellectual dialogue and nurturing the next generation of legal professionals to address pressing legal challenges. ■

(Rashtriya Chhatrashakti Team)

आधुनिक भारत के निर्माता स्वामी दयानंद सरस्वती

■ संजय दीक्षित

राष्ट्रीयता, हिंदू संस्कृति और स्वदेशी के पुरोधा स्वामी दयानंद सरस्वती के जन्मोत्सव के दो सौ वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। धार्मिक, सामाजिक और शैक्षिक सुधारों के माध्यम से भारतीय समाज में महत्वपूर्ण योगदान करने वाले स्वामी दयानंद ने वैदिक ज्ञान को पुनर्जीवित करने और चार वेदों-ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के बारे में राष्ट्र में पुनः जागरूकता पैदा करने के लिए कई पुस्तकों की रचना की, जिनमें सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेदादिभाष्य-भूमिका और संस्कार विधि मुख्य हैं। अपनी शिक्षाओं में उन्होंने सत्य और धार्मिक सिद्धांतों द्वारा निर्देशित नैतिक जीवन जीने के महत्व पर जोर दिया। उनका कहना था कि व्यक्तियों को सद्गुण, आत्म-अनुशासन और मानवता की सेवा का जीवन, जीने का प्रयास करना चाहिए।

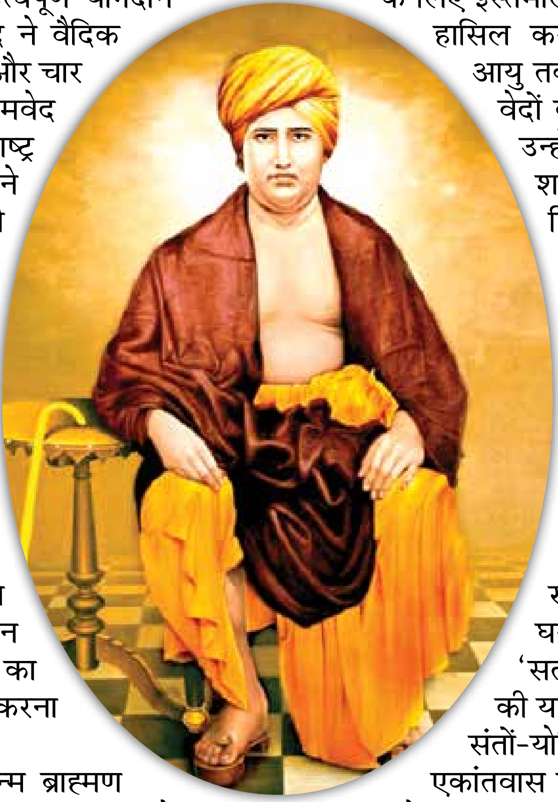

स्वामी दयानंद का जन्म ब्राह्मण कुल के समृद्ध परिवार में फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि को अर्थात 12 फरवरी 1824 को गुजरात स्थित टंकारा में हुआ था, जो वर्तमान में राजकोट जिले में स्थित है। मूल नक्षत्र में जन्म लेने के कारण इनका नाम मूल शंकर तिवारी रखा गया। उनके पिता का नाम अंबा शंकर और माता का नाम यशोदा बाई था। उनकी शिक्षा पांच वर्ष की आयु में आरम्भ हुई और आठ वर्ष की आयु तक उन्होंने देवनागरी लिपि, जो संस्कृत के लिए इस्तेमाल की जाती थी, में महारत हासिल कर ली थी। 14 वर्ष की आयु तक उन्हें यजुर्वेद और अन्य वेदों के मंत्रों का ज्ञान हो गया। उन्होंने दो वर्ष निघंटु (वैदिक शब्दों की शब्दावली), निरुक्त (वैदिक शब्दों की व्युत्पत्ति), पूर्व-मीमांसा (वेदों के अनुष्ठान भागों की जांच) और अनुष्ठान एवं बलिदान संबंधी ग्रंथों का अध्ययन किया। 1846 में मात्र 22 वर्ष की आयु में वास्तविक ज्ञान, आध्यात्मिक शुद्धता और मोक्ष (मुक्ति) की खोज करने के लिए उन्होंने घर को त्याग दिया और फिर 'सत्य की खोज' में पूरे भारत की यात्रा की। वह मंदिरों में गए, संतों-योगियों से मिले, हिमालय के एकांतवास में भी रहे, लेकिन कोई भी उन्हें वह उत्तर नहीं दे सका, जिसकी उन्हें तलाश थी।

1855 में वह हरिद्वार में आयोजित कुंभ मेले पहुंचे, जहां उनकी भेंट स्वामी पूर्णानन्द से हुई। स्वामी पूर्णानंद ने उन्हें अपना शिष्य बनाने

के स्थान पर एक अन्य स्वामी जी के पास भेज दिया, जिन्होंने स्वामी दयानंद को मथुरा निवासी व्याकरणसूर्य संत विरजानन्द के पास जाने के लिए कहा। तत्कालीन समय में दृष्टिबाधित संत विरजानन्द मथुरा में एक पाठशाला स्थापित करके छात्रों को शिक्षित करने के कार्य में लगे हुए थे। स्वामी दयानंद की मथुरा में स्वामी विरजानंद से भेंट हुई तो स्वामी विरजानंद को एक ऐसा शिष्य मिल गया, जिसके पास अपने मिशन को आगे बढ़ाने के लिए शक्ति और अनुशासन था। स्वामी विरजानंद दृष्टिबाधित अवश्य थे, लेकिन मीमांसा, वेदांत, आयुर्वेद आदि में निपुण होने के कारण वह आत्मज्ञान का जीवित रूप थे और सभी शास्त्रों के अंशों को उद्धृत करके अपने शिष्यों के सभी संदेहों को दूर करने में सक्षम थे।

स्वामी विरजानंद बहुत कठोर परिश्रमी गुरु थे और वह अपने शिष्यों से कड़ी मेहनत और अनुशासन की अपेक्षा रखते थे। उन्होंने स्वामी दयानंद से कहा कि वह पहले भारत की स्वतंत्रता और स्वतंत्रता संग्राम के लिए कार्य करें। इसके बाद स्वामी दयानंद वापस स्वामी पूर्णानन्द की गुप्त साधु सभा में शामिल होने के लिए हरिद्वार पहुंच गए। बाद में में वह बिठूर में पांच दिन तक नाना साहब के साथ रहे और स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े मुद्दों पर गहन विचार-विमर्श करके उनकी विशेष योजना का हिस्सा बने। स्वतंत्रता संग्राम के समाप्त होने के बाद स्वामी दयानंद ने क्रांति की विफलता के कारणों को जानने और अंग्रेजी राज में शोषित जनता की जानकारी लेने के लिए मई 1857 से नवंबर 1860 के मध्य गुप्त भ्रमण किया। वह 1857 से 1859 तक कई बार विभिन्न स्थलों पर विभिन्न क्रांतिकारियों के साथ देखे गए।

नवंबर 1860 में स्वामी दयानंद वापस संत विरजानंद सरस्वती के पास लौटे और फिर उनके अधीन कठोर प्रशिक्षण लिया। अपनी असाधारण भक्ति और सेवा भावना के साथ वह जल्द ही संत विरजानंद के सबसे प्रिय और सबसे प्रसिद्ध शिष्य बन गए। उनके मार्गदर्शन और शिक्षाओं के माध्यम से स्वामी दयानंद को जीवन की उलझनों का उत्तर मिला। संत विरजानंद के पास रहते हुए उन्होंने अपना वैदिक अध्ययन पूरा किया। इसके बाद 1867 के हरिद्वार के कुंभ मेले में उन्होंने 'पाखण्ड खण्डिनी पताका' फहराई एवं अनेक शास्त्रार्थ किए। कलकत्ता में वह बाबू केशवचन्द्र सेन तथा देवेन्द्र नाथ ठाकुर के संपर्क में आए। यहीं से उन्होंने पूरे वस्त्र पहनना तथा हिन्दी में बोलना एवं लिखना प्रारंभ किया। इसके बाद वैदिक प्रचार और शिक्षा के लिए उन्होंने 1874 तक पूरे भारत का भ्रमण किया। स्वामी दयानंद की पहली प्रमुख रचना 1874 में पंचमहायज्ञ विधि थी। 1882 में उन्होंने राजस्थान स्थित अजमेर में परोपकारिणी सभा की स्थापना की, जो उनके कार्यों और वैदिक ग्रंथों को प्रकाशित करने और प्रचार-प्रसार का कार्य करने लगी।

मुंबई में उन्होंने 7 अप्रैल 1875 को आर्य समाज नामक संगठन की स्थापना की। यह एक सामाजिक-सांस्कृतिक संगठन था, जो भारतीयों को प्रामाणिक वैदिक ज्ञान से अवगत कराकर समाज को बेहतर बनाने की आकांक्षा रखता था। आर्य समाज की स्थापना 'कृण्वन्तो विश्वम् आर्यम्' (इस पृथ्वी को महान बनाओ) के आदर्श वाक्य के साथ उन दस सिद्धांतों के आधार पर हुई, जो वेदों में स्थापित थे। इन सिद्धांतों का उद्देश्य शारीरिक, आध्यात्मिक और सामाजिक कल्याण के माध्यम से व्यक्ति और समाज को आगे बढ़ाना था। स्वामी दयानंद का उद्देश्य प्राचीन वेदों की शिक्षाओं को पुनः स्थापित करना था। सत्यार्थ प्रकाश में उन्होंने कहा कि वह विश्लेषणात्मक विचार के माध्यम से परम सत्य को स्वीकार एवं असत्य को अस्वीकार करके मानव जाति का सच्चा विकास करना चाहते हैं।

स्वामी दयानंद के लिए वेद हिंदू संस्कृति का आधार थे और उन्होंने 'वेदों की ओर लौटो' का स्पष्ट आह्वान किया। उन्होंने वेदों की वैज्ञानिकता को दर्शाया एवं वेदों का सम्यक रुप से भाष्य किया। वह एक समाज सुधारक के रूप में हिंदू धर्म के सच्चे प्रतीक थे और हिंदू धर्म को दृढ़ करने के लिए उनका दृष्टिकोण सुधारात्मक था। उन्होंने

महिलाओं की मुक्ति और दलित वर्ग के उत्थान के लिए भी प्रयास किए। वेदों और हिंदुओं की सर्वोच्चता को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अन्य संप्रदायों में धर्मांतरित हुए हिन्दुओं को पुनः हिंदू धर्म में वापस लाने के लिए शुद्धि आंदोलन की वकालत की। उनका मानना था कि वैदिक शिक्षा के प्रसार के माध्यम से भारतीय समाज के पुनरुद्धार की आवश्यकता को पूरा किया जा सकता है। उन्होंने एक संतुलित शिक्षा की आवश्यकता और महिलाओं को शिक्षित करने पर जोर दिया। उनका कहना था कि शिक्षा सामाजिक और आध्यात्मिक प्रगति की कुंजी हैं। महिलाएं समाज के नैतिक और आध्यात्मिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती हैं। इसलिए उन्हें भी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है।

तत्कालीन समय में जर्मनी निवासी फ्रेडरिक मैक्समूलर भारत के वैदिक साहित्य को अपने ढंग से परिभाषित करने में लगा हुआ था। उसकी ईसाई धर्म के प्रति अनुरक्ति कोई छिपा तथ्य नहीं है। लार्ड थॉमस बैबिंगटन मैकाले ने मैक्समूलर को संस्कृत साहित्य में रचित हिन्दू धर्मग्रंथों को इस तरह से प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित किया, जिससे भारत में ईसाई मत का प्रचार एवं उत्कर्ष हो सके और अधिकांश भारतवासी पुरातन हिन्दू धर्म में अपनी आस्थाओं को त्याग कर ईसाई धर्म को स्वीकार कर लें। 1877 में स्वामी दयानंद द्वारा वेद की भाष्य रचना के विषय में मैक्समूलर को जब जानकारी हुई तो वह ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका तथा मासिक पत्र के रूप में प्रकाशित होने वाले ऋग्वेद के भाष्य का नियमित ग्राहक बन गया। उसके बाद मैक्समूलर ने अनुभव किया कि यदि स्वामी दयानंद का वेद भाष्य भारतीय हिन्दू समाज में प्रसारित होता रहा तो मध्यकाल में लुप्त हुई वेदों की गरिमा पुनः प्रतिष्ठित हो जाएगी और वेदों को विडम्बनाओं से युक्त सिद्ध करने संबंधी उसके प्रयास निरर्थक हो जाएंगे। इसके बाद मैक्समूलर ने 1875 में संपर्क करके उन्हें इंग्लैंड आने और आक्सफोर्ड में शिक्षा देने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन स्वामी दयानंद ने उसके प्रस्ताव को ठुकराते हुए उसे एक पत्र लिखा था। इस पत्र के विषय में पंडित लेखराम लिखित पुस्तक 'महर्षि दयानन्द सरस्वती का जीवन चरित्र' में चर्चा की गई है।

स्वामी दयानंद की मृत्यु 29 सितंबर 1883 में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई। उनकी मृत्यु के बाद 1886 में दयानंद एंग्लो वैदिक (डीएवी) ट्रस्ट और प्रबंधन सोसायटी की स्थापना करके लाहौर में पहला डीएवी स्कूल स्थापित किया गया। चूंकि तत्कालीन समय में देश में अंग्रेजी सत्ता का राज था। इसीलिए उनके शिष्यों ने स्कूल के नाम में एंग्लो शब्द का प्रयोग किया, जिससे अंग्रेजी सत्ता के कोप से बचा जा सके। इसके अलावा गुरुकुल एवं बालिका गुरुकुल की स्थापना भी हुई। परिणामस्वरूप भारत की जनता पश्चिमी शिक्षा के चंगुल से मुक्त होने की दिशा में बढ़ती चली गई।

स्वामी दयानंद का दर्शन तर्कवाद और वेदों में निहित था, जिसे वह सभी ज्ञान और सत्य का अचूक स्रोत मानते थे। उनकी शिक्षाओं में तर्कसंगतता, नैतिकता और आध्यात्मिक ज्ञान के महत्व पर जोर दिया गया। उन्होंने हिंदू धर्म से अंधविश्वासों और तर्कहीन प्रथाओं को खत्म करने का प्रयास करते हुए आध्यात्मिक ज्ञान के लिए अधिक तार्किक और अनुभवजन्य दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया। लोकतंत्र और राष्ट्रीय जागृति के विकास में किए गए उनके योगदान को भी नकारा नहीं जा सकता है। भारत की राजनीतिक स्वतंत्रता दयानंद के प्रथम उद्देश्यों में से एक थी। उन्होंने 'आर्यावर्त आर्यों के लिए' का जो सन्देश भारतवासियों को दिया, वही सन्देश 1906 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 'भारतवर्ष भारतीयों के लिए' के रूप में दोहराया गया। भारतीय-आर्य संस्कृति और सभ्यता के सबसे बड़े प्रचारक स्वामी दयानंद भारत में राजनीति में सबसे उन्नत विचारों के सबसे बड़े प्रतिपादक सिद्ध हुए। वास्तव में उनकी विरासत स्थायी और दूरगामी है। भारतीय समाज और हिंदू धर्म को प्रभावित करने वाली उनकी शिक्षाएं उन सभी को प्रेरित करती रहेंगी, जो भारत की सांस्कृतिक-आध्यात्मिक विरासत को बढ़ावा देने और संरक्षित करने के कार्य में लगे हुए हैं। ■

जनसांख्यिकीय आवश्यकताओं को पूरा करेगा समावेशी बजट : अभाविप

केंद्रीय बजट का स्वागत करते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) ने कहा है कि वर्ष 2025-26 के बजट में शिक्षा क्षेत्र के लिए 1,28,650 करोड़ रुपए और स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 98,000 करोड़ रुपए का जो महत्वपूर्ण आवंटन किया गया है, उससे इन प्रमुख क्षेत्रों के विकास में समग्र और व्यापक गति मिलेगी।

बजट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए अभाविप ने कहा कि भारत की शिक्षा प्रणाली को आधुनिक बनाने के साथ-साथ भारतीय मूल्यों को संरक्षित करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने कई दूरदर्शी और निर्णायक उपाय किए हैं। कुल बजट का 2.54 प्रतिशत शिक्षा के लिए निर्धारित किया गया है। आगामी पांच वर्षों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब्स की स्थापना के साथ ही भारतनेट परियोजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को ब्रॉडबैंड से जोड़ा जाएगा। बजट में किए गए प्रावधानों से राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कर छात्रों को उद्योग आधारित प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। साथ ही आईआईटी और मेडिकल कालेजों में सीटों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि होगी, जिससे बढ़ती मांग को पूरा किया जा सकेगा। केंद्र सरकार द्वारा भारतीय भाषा पुस्तक योजना के तहत स्कूल और उच्च शिक्षा स्तर पर भारतीय भाषाओं में डिजिटल पुस्तकें उपलब्ध कराने का निर्णय भी सराहनीय है ।

स्वास्थ्य क्षेत्र को दी गई प्राथमिकता की सराहना करते हुए अभाविप ने कहा कि बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 98,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण-2.0 कार्यक्रम के तहत आठ करोड़ से अधिक बच्चों, एक करोड़ गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को पोषण सहायता देने के साथ ही बजट में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान की स्थापना करने की घोषणा से खाद्य विज्ञान और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। सभी जिला अस्पतालों में डे-केयर कैंसर केंद्रों की स्थापना होने के बाद कैंसर के इलाज की सुविधा अधिक सुलभ होगी। अभाविप ने कहा कि केंद्रीय बजट भारत के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाओं और लक्ष्यों को दर्शाता है। यह बजट प्रगतिशील और समावेशी है, जो देश की जनसांख्यिकीय आवश्यकताओं को पूरा करता है। अभाविप का मानना है कि शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों में किया जाने वाला निवेश आत्मनिर्भर, समृद्ध और विकसित भारत के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ■

(राष्ट्रीय छात्रशक्ति टीम)

। उपलब्धि ।

डा. राजपूत ने राष्ट्रीय अभिलेखागार को दान में दिए बहुमूल्य अभिलेखीय संग्रह

उत्तर प्रदेश के प्रतिष्ठित शिक्षाविद, लेखक और साहित्यकार डा. राम कृष्ण राजपूत ने अपना बहुमूल्य अभिलेखीय संग्रह देश के राष्ट्रीय अभिलेखागार को दान कर दिया है। उनके संग्रह में विभिन्न भाषाओं की प्राचीन पांडुलिपियां, तस्वीरें, दुर्लभ पुस्तकें, हस्तलिखित नक्शे एवं स्थानीय कपड़ा डिजाइनरों की हजारों डिजाइन शामिल हैं। राष्ट्रीय अभिलेखागार ने उनकी अमूल्य विरासत को 'डा. राम कृष्ण राजपूत संग्रह' नाम से संरक्षित करने का निर्णय लिया है। गत 17 दिसंबर को नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय अभिलेखागार में आयोजित एक समारोह में डा. राजपूत ने अपने परिवार के साथ अपने संग्रह को राष्ट्रीय अभिलेखागार के महानिदेशक अरुण सिंघल को सौंपने के लिए आधिकारिक रूप से एक समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए। उनके संग्रह में न केवल वृत्तचित्र, बल्कि टेराकोटा कलाकृतियां, पत्थर एवं धातु की मूर्तियां, सिक्के, कलाकृतियां, मुहरें, हथियार और कई अन्य वस्तुएं शामिल हैं। राष्ट्रीय अभिलेखागार उनके संग्रह का अभिलेखीय संरक्षण एवं डिजिटलीकरण करने के बाद अपने ऑनलाइन पोर्टल, अभिलेख पटल (https://www.abhilekh-patal.in/jspui/) पर शोधकर्ताओं एवं आम लोगों को देखने के लिए उपलब्ध कराएगा। ■

(राष्ट्रीय छात्रशक्ति टीम)

WOSY Organised Dudhwa National Park Trip for Foreign Students

Under the aegis of the World Organisation of Students and Youth (WOSY), the Lucknow chapter organised a one-day excursion to Dudhwa National Park for foreign students studying at Lucknow University. A total of 60 students from 15 countries participated in this enriching trip. The journey was flagged off by Ghanshyam Shahi, Regional Organising Secretary of ABVP's Eastern Uttar Pradesh region, who extended his best wishes to the participants. The initiative aimed to create awareness among students about India's cultural heritage and foster an understanding of environmental conservation.

WOSY karyakartas, who are active in major educational institutions across India, work to address challenges faced by foreign students and provide a platform for cultural exchange and awareness. Through various programs, the organisation fosters global harmony among youth. This one-day trip to Dudhwa National Park was a step toward promoting these objectives, enabling international students to experience India's natural beauty and rich heritage.

Nandini, the International Vice-Chairperson of WOSY from Mauritius, expressed that the trip allowed young participants to gain a deeper understanding of India's heritage while embracing the spirit of "Vasudhaiva Kutumbakam"-the concept of the world as one family. Brian, a WOSY Central Executive Committee Member from Kenya, highlighted the organization's efforts to preserve India's cultural and historical legacy while

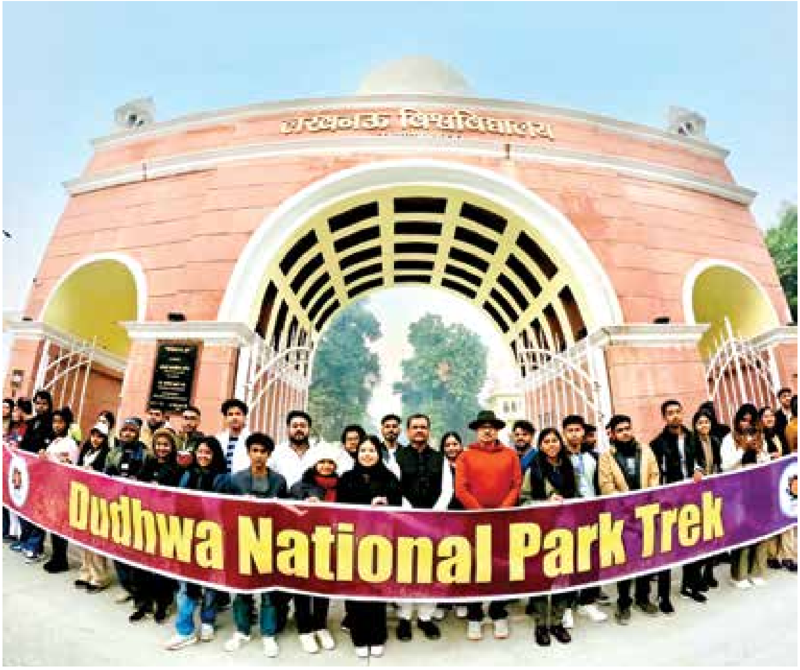

also emphasizing the importance of environmental conservation. The event proved to be an enriching experience for the students, fostering mutual understanding and a deeper appreciation for India's cultural and natural treasures. ■

(Rashtriya Chhatrashakti Team)

अभाविप ने किया साहिबजादों के बलिदान को याद

वीर बाल दिवस के अवसर पर गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों और उनके बलिदान को देश भर में श्रद्धापूर्वक याद किया गया। धर्म और सिद्धांतों की रक्षा के लिए इसी दिन बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह ने छोटी उम्र में अपने प्राणों का बलिदान दिया था। साहिबजादों की बलिदानी गाथा से वर्तमान पीढ़ी को परिचित कराने के उद्देश्य से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) पंजाब प्रांत द्वारा गत 26 दिसंबर को पूरे प्रदेश में संगोष्ठी, दस्तारबंदी प्रतियोगिता, सेवा शिविर, लंगर जैसे कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

अभाविप पंजाब प्रांत मंत्री मनमीत सोहल ने बताया कि वीर बाल दिवस केवल स्मरण का दिन नहीं है, बल्कि पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह की वीरता और उनके मूल्यों को बनाए रखने की प्रतिबद्धता को केन्द्र में रखते हुए अभाविप ने प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर लंगर सेवा का आयोजन किया, जिसमें सामुदायिक सेवा की सिख परंपरा और साहिबजादों द्वारा प्रदर्शित निस्वार्थता और विनम्रता के मूल्यों पर जोर दिया गया। साथ ही विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय परिसर में वीर बाल दिवस के ऐतिहासिक महत्व और समकालीन समय में इसकी प्रासंगिकता पर चर्चा का आयोजन किया गया, जिससे युवा वर्ग त्याग एवं बलिदान की गौरवशाली परंपरा से परिचित हो सके। प्रदेश में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में छात्रों और समाज के सदस्यों की व्यापक भागीदारी देखी गई।

अभाविप डीएवी महाविद्यालय, चंडीगढ़ इकाई द्वारा आयोजित 'गर्म दूध लंगर' के दौरान अभाविप राष्ट्रीय मंत्री आदित्य तकियार ने बताया कि वीर बाल दिवस पर गर्म दूध की सेवा का विशेष महत्व है। जब मुगल अधिकारी वजीर खान द्वारा माता गुजरी और छोटे साहिबजादों को सर्द रात में ठंडे बुर्ज पर कैद करने की सजा दी गई। उस समय बाबा मोती राम महिरा ने वजीर खान के आदेशों की अवहेलना करते हुए साहिबजादों और माता गुजरी को गर्म दूध परोसकर उनकी सेवा की थी, जिसके कारण मोती राम मेहरा को यातना देकर मृत्यदंड दिया गया। उन्होंने कहा कि वीर बाल दिवस साहिबजादों द्वारा किए गए अद्वितीय बलिदान को याद दिलाता है। उनका साहस और धर्म के प्रति प्रतिबद्धता युवाओं के लिए प्रेरणादायी है।

अभाविप पंजाब के प्रांत संगठन मंत्री शमशेर सिंह ने कहा कि छोटे साहिबजादों के बलिदानों अनुकरणीय है। युवाओं के लिए उनकी वीरता की गाथा को जानना आवश्यक है ताकि उनकी बलिदानी गाथा से प्रेरणा लेकर मूल्यों, शक्ति और एकता में निहित समाज का निर्माण कर सके। पंजाब विश्वविद्यालय स्टूडेंट्स काउंसिल (पीयूसीएससी) के संयुक्त सचिव जसविंदर राणा ने कहा कि साहिबजादों का बलिदान हर भारतीय के लिए शक्ति का प्रतीक है। उनके बलिदान दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम, चाहे वह लंगर परोसना हो या सार्थक चर्चा करना, उनकी विरासत से जुड़ने और दृढ़ता और भक्ति के सबक सीखने का अवसर प्रदान करती है। छात्रों के बीच ऐसे मूल्यों को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए अभाविप प्रतिबद्ध है। ■

(राष्ट्रीय छात्रशक्ति टीम)

ABVP Condemns Sexual Assault at Anna University and Suppression of Democratic Protests by DMK Government

■ **Dr. Tushaar Kanti Acharjee**

The Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad (ABVP) has strongly condemned the sexual assault of a 19-year-old engineering student at Anna University on December 23, 2024 and the Tamil Nadu government's subsequent mishandling of the case. The incident, which occurred on the university campus, involved D. Gnanasekaran, a biryani hawker, who assaulted the victim's male friend before sexually assaulting her. Shockingly, the accused used the victim's identification card to further threaten and blackmail her. Despite the victim's bravery in filing a complaint under the Prevention of Sexual Harassment (POSH) Act, the Tamil Nadu Police delayed the arrest of the accused by 12 hours, during which sensitive information, including the FIR, was leaked to DMK-affiliated media outlets, exacerbating the victim's trauma.

The public's outrage has grown after revelations that the accused had connections with the ruling DMK party, having participated in party activities and appearing in photographs with Deputy Chief Minister Udhayanidhi Stalin. As a syndicate member of Anna University, Stalin's position implicates him in the lapses that allowed such a crime to occur within the university premises.

ABVP has launched protests across Tamil Nadu, demanding accountability for the security lapses at Anna University and justice for the victim. However, these protests have been met with suppression by the state government. On December 27, 2024 ABVP North Tamil Nadu State Secretary Yuvraj D and two other karyakartas were arrested from ABVP's Tamil Nadu State office in Purasaiwakkam during the early hours of the morning.

ABVP has called for immediate and strict action against the accused, with a fast-tracked trial to ensure justice for the victim. They have also demanded accountability for the university's security failure, protection of the victim's privacy to prevent further leaks, and accountability from police officials for the delayed arrest of the accused. ABVP has further urged the immediate release of Yuvraj D and the other activists detained for exercising their democratic right to protest.

Dr. Virendra Singh Solanki, ABVP's National General Secretary, criticized the DMK government for its failure to ensure campus safety and for suppressing democratic protests. He emphasized the importance of protecting students' dignity and safety, stating that ABVP would continue its fight for justice for the victim and for the safety of students across Tamil Nadu.

On December 30, 2024, ABVP intensified its protests by staging a massive demonstration at Tamil Nadu Bhawan in Delhi. They demanded an impartial and independent investigation into the sexual assault case, along with strict action against those involved and the immediate release of ABVP karyakartas detained in Tamil Nadu. ABVP's National Secretary, Shivangi Kharwal, highlighted the state government's failure to ensure the safety of female students, accusing it of shielding the accused due to their party affiliations. ABVP Delhi State Secretary, Harsh Attri, reiterated the demand for swift justice and emphasized that ABVP would leave no stone unturned to ensure accountability and justice for the victim.

The protest in Delhi witnessed participation from notable student leaders, including Delhi University Students' Union Vice President Bhanu Pratap Singh and Secretary Mitravinda Karanwal, alongside hundreds of students who stood united in their call for justice. ■

कार्यकर्ताओं के लिए ऊर्जा का केंद्र बनेगा नवीन कार्यालय : सुरेश सोनी

किसी भी संगठन को सुचारू रूप से चलाने में कार्यालय का सर्वाधिक महत्व है। कार्यालय के माध्यम से नीतियों का निर्माण और क्रियान्वयन होता है। अभाविप कार्यकर्ताओं के लिए नवीन कार्यालय ऊर्जा का केंद्र बनेगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) का विचार प्रवाह 9 जुलाई 1949 से निरंतर जारी है। अभाविप की रीति-नीतियों का अनुसरण करके लाखों कार्यकर्ता देश-विदेश में अपने कार्य के साथ-साथ अपनी सामाजिक भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। यह उद्‌गार महाकोशल प्रांत के नवीन प्रांत कार्यालय भवन का लोकार्पण करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य सुरेश सोनी ने व्यक्त किए।

गत 29 जनवरी को नवीन प्रान्त कार्यालय भवन का लोकार्पण वरिष्ठ प्रचारक सुरेश सोनी, अभाविप के राष्ट्रीय संगठन मंत्री आशीष चौहान, प्रांत संघचालक डा. प्रदीप दुबे एवं अभाविप के राष्ट्रीय महामंत्री डा. वीरेंद्र सोलंकी द्वारा संपन्न हुआ। उद्‌घाटन समारोह में वरिष्ठ प्रचारक सुरेश सोनी ने कहा कि पुराना कार्यकर्ता संगठन के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी) की तरह होता है। विद्यार्थी युवावस्था के आरंभ में अभाविप के संपर्क में आकर भारतीय विचार परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। एक अच्छा गुरु वही है, जो ऐसे अच्छे कार्यकर्ता तैयार करता है, जो अपने गुरु से आगे निकलते हैं। यही संगठन का भाव है और अभाविप में यह भाव कायम है।

उन्होंने कहा कि हम अपनी मान्य परंपराओं का पालन करके ही विश्व गुरु बन सकते हैं। इसमें अभाविप कार्यकर्ताओं का बड़ा योगदान होगा। अभाविप कार्यकर्ता जिस क्षेत्र में जाएगा, वह राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका का निर्वहन करेगा। आज तकनीकी, जितनी उच्च हो रही है, व्यक्ति उतना ही आभासी (वर्चुअल) होता जा रहा है। वह अब वास्तविक नहीं रहा। आभासी और वास्तविक दोनों दुनिया अलग-अलग हो चुकी हैं। दोनों में द्वंद है और होता रहेगा, क्योंकि संतुष्टि का कोई पैमाना नहीं होता और आभासी जीवन में संतुष्टि कभी नहीं मिल सकती। यह तो वास्तविक जीवन में ही मिल सकती है और यह अनुभव का विषय है। इसका उत्तर कृत्रिम बुद्धि से कभी नहीं मिल सकता।

इस अवसर पर अभाविप के राष्ट्रीय संगठन मंत्री आशीष चौहान ने कहा कि महाकोशल प्रांत ने अल्प सुविधा में भी कैसे काम किया? यह पूरे देश ने देखा है और पूरे देश ने उसका अनुसरण भी किया है। अभाविप कार्यकर्ता, संगठन मंत्रियों और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के मार्गदर्शन में कार्य करते हुए अपना लक्ष्य प्राप्त करते हैं। यह प्रक्रिया अभाविप के स्थापना काल 9 जुलाई 1949 से अनवरत जारी है। महाकोशल प्रांत में अभाविप के एक लाख से अधिक सदस्य हैं और पूरे देश में लगभग 58 लाख सदस्य बन चुके हैं। विभिन्न आंदोलनों और कार्यक्रमों से अभाविप ने यह सिद्ध भी किया है कि अभाविप विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है। आज जो सपना पुरानी पीढ़ी ने कागज में देखा था, वह कार्यालय के रूप में अब कंक्रीट में परिवर्तित हो चुका है। आज अधिकांश परिसर में अभाविप का कार्य है। आशा करता हूं कि जल्द ही शत-प्रतिशत शिक्षा परिसरों में अभाविप कार्य करते हुई दिखाई देगी।

लोकार्पण समारोह में अभाविप के अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य डा. रघुराज किशोर तिवारी ने कहा कि आधुनिक कार्यालय वर्तमान चुनौतियां एवं नई तकनीक के साथ कार्य करने में सहायक सिद्ध होगा।

समारोह में मध्यप्रदेश के कई मंत्री, विधायक, सांसद, अभाविप के क्षेत्रीय संगठन मंत्री चेतस सुखड़िया, पश्चिम उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय सह संगठन मंत्री विपिन गुप्ता, प्रांत अध्यक्ष डा. सुनील पांडे, प्रांत मंत्री माखन शर्मा, प्रांत संगठन मंत्री मनोज यादव सहित सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। ■

(राष्ट्रीय छात्रशक्ति टीम)

युवा संसद में पर्यावरणीय चुनौतियों पर चिंतन

राजस्थान विधानसभा में आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय पर्यावरण युवा संसद में पर्यावरणीय चुनौतियों से विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श करते हुए उनके समाधान की दिशा में गंभीरता से विचार किया गया। इसके माध्यम से न केवल पर्यावरण संरक्षण की दिशा में युवाओं को जागरूक किया गया, बल्कि भविष्य के नीति-निर्माताओं के रूप में उन्हें एक नई दिशा भी मिली।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) के आयाम विकासार्थ विद्यार्थी द्वारा दो दिवसीय राष्ट्रीय पर्यावरण युवा संसद का आयोजन गत 24 एवं 25 जनवरी को राजस्थान विधानसभा में किया गया। 24 जनवरी को उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के साथ राष्ट्रमंडल संसदीय संघ (राजस्थान शाखा) के सचिव संदीप शर्मा, समाजसेवी राजेंद्र मीणा, अभाविप के राष्ट्रीय संगठन मंत्री आशीष चौहान और विकासार्थ विद्यार्थी की राष्ट्रीय संयोजक कुमारी पायल राय उपस्थित रहे। अपने सम्बोधन में मुख्य अतिथि वासुदेव देवनानी ने विकासार्थ विद्यार्थी की पहल की सराहना करते हुए कहा कि युवाओं की सहभागिता न केवल पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाएगी, बल्कि नीति-निर्माण में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान देगी।

उद्घाटन समारोह के बाद आयोजित सत्र में पर्यावरण संरक्षण में युवाओं की भूमिका पर विचार-विमर्श करते हुए भारतीय संस्कृति में पर्यावरण संरक्षण के वैज्ञानिक दृष्टिकोण और युवाओं की भूमिका को रेखांकित किया गया। युवा संसद का मुख्य सत्र पर्यावरणीय मुद्दों पर प्रभावी संवाद पर केंद्रित रहा। स्वच्छ हवा के लिए शासन और नीति कार्यान्वयन सत्र में जलवायु कार्रवाई और पर्यावरणीय नीतियों को सशक्त करने पर विचार किया गया। इस सत्र में विपक्ष ने सरकार की पर्यावरण नीतियों की आलोचना करते हुए विभिन्न प्रश्न उठाए, जिनका सत्ता पक्ष ने सरकारी योजनाओं और प्रयासों के माध्यम से उत्तर दिया। पार्टियों के सम्मेलन (सीओपी) फ्रेमवर्क के तहत भारत की 2050 तक की जलवायु प्रतिबद्धताएं सत्र में भारत की दीर्घकालिक पर्यावरणीय नीतियों पर विचार-विमर्श किया गया। इसके साथ ही युवा संसद में हरित ऊर्जा, नवीकरणीय संसाधनों, जैव विविधता संरक्षण, अपशिष्ट प्रबंधन, सतत कृषि और प्रदूषण नियंत्रण जैसे मुद्दों पर साथ चर्चा के साथ ही प्लास्टिक प्रदूषण और उसके समाधान पर विशेष रूप से विचार-विमर्श किया गया।

युवा संसद का समापन राजस्थान विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. अल्पना कटेजा, राष्ट्रमंडल संसदीय संघ (राजस्थान शाखा) के सचिव संदीप शर्मा, विकासार्थ विद्यार्थी के अखिल भारतीय प्रमुख राहुल गौड़ और विकासार्थ विद्यार्थी की अखिल भारतीय संयोजक कुमारी पायल राय की उपस्थिति में हुआ। समापन के दौरान सर्वश्रेष्ठ वक्ता, सर्वश्रेष्ठ विपक्षी नेता, सर्वश्रेष्ठ युवा नेता जैसी विभिन्न श्रेणियों में नौ पुरस्कार प्रदान किए गए। अंत में प्रतिभागियों ने अपने-अपने क्षेत्रों में पर्यावरण संरक्षण अभियान चलाने का संकल्प लिया।

जानकारी हो कि युवा संसद का आरम्भ अक्टूबर 2024 में विश्वविद्यालय स्तरीय प्रतियोगिता से हुआ था, जिसमें देश के 278 विश्वविद्यालयों से 32,000 से अधिक विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। इसके बाद 2780 विद्यार्थियों को क्षेत्रीय स्तर के लिए चयनित किया गया, जिन्होंने अपने-अपने क्षेत्रों के स्थानीय पर्यावरणीय मुद्दों पर चर्चा की। अंत में 11 क्षेत्रों से 214 विद्यार्थियों का चयन राष्ट्रीय स्तर के लिए हुआ, जिसे पर्यावरण सांसद घोषित किया गया। इन प्रतिभागियों के लिए वर्चुअल माध्यम से विधानसभा के नियमों और प्रक्रियाओं का प्रशिक्षण दिया गया। उन्हें सत्ता पक्ष और विपक्षी दलों की भूमिका सौंपी गईं, साथ ही पर्यावरण मंत्रालयों की नीतियों और कार्यप्रणालियों की जानकारी भी प्रदान की गई। ■

(राष्ट्रीय छात्रशक्ति टीम)

पर्यावरण चुनौतियों पर राजस्थान विधानसभा में आयोजित युवा संसद में विचार रखते हुए प्रतिभागी। इनसेट में संसद का उद्घाटन करते हुए राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के सचिव (राजस्थान शाखा) संदीप शर्मा एवं अन्य।

जबलपुर में महाकोशल प्रांत के नवनिर्मित कार्यालय 'छात्रशक्ति भवन' का उद्घाटन करते हुए रा.स्व.संघ के अ.भा. कार्यकारिणी सदस्य सुरेश सोनी। साथ में प्रांत संघचालक डा. प्रदीप दुबे, अभाविप राष्ट्रीय संगठन मंत्री आशीष चौहान, महामंत्री डा. वीरेन्द्र सोलंकी एवं अन्य पदाधिकारी।

RNI NO.: DELBIL/2017/73636
DATE OF POSTING: 10-11 FEBRUARY, 2025
DATE OF PUBLISHING: 8 FEBRUARY, 2025

POST OFFICE: NDGPO, NEW DELHI
POSTING REGISTRATION NO. DL(C)-11/1409/2024-26

चेन्नई : अन्ना विवि में छात्रा के साथ हुई घृणित घटना के विरुद्ध अभाविप प्रदर्शन की झलकियां